15

विदेशी मामलों संबंधी समिति
(2025-26)
अठारहवीं लोक सभा

विदेश मंत्रालय

'भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य' विषय पर समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

पंद्रहवां प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जुलाई, 2026/श्रावण, 1948 (शक)

पंद्रहवां प्रतिवेदन

विदेशी मामलों संबंधी समिति

(2025–26)

(अठारहवीं लोक सभा)

विदेश मंत्रालय

'भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य' विषय पर समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

30 जुलाई, 2026 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
30 जुलाई, 2026 को राज्य सभा के सभा पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जुलाई, 2026/श्रावण, 1948 (शक)

<u>**सीओईए सं. -**</u>

***मूल्य:* .... रुपए**

© 2026 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (___________ संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ___________द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2025-26) की संरचना		
प्राक्कथन		
अध्याय- एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय- दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है...	31
अध्याय- तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	68
अध्याय- चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	69
अध्याय- पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	70

परिशिष्ट

एक.	समिति की 21 जुलाई 2026 को हुई बाईसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	79
दो.	विदेशी मामलों संबंधी समिति (18वीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण	81

विदेशी मामलों संबंधी समिति (2025-26) की संरचना

डॉ. शशि थरूर, सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. श्रीमती डी.के.अरुणा
3. श्री विजय बघेल
4. श्री मितेश पटेल (बकाभाई)
5. श्री अभिषेक बनर्जी
6. श्री अरुण गोविल
7. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
8. श्री नवीन जिंदल
9. श्री नवासखनी के.
10. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला
11. श्री असादुद्दीन ओवैसी
12. श्री सनातन पांडेय
13. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही
14. श्री रवि शंकर प्रसाद
15. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी
16. श्रीमती अपराजिता सारंगी
17. श्री अरविंद गणपत सावंत
18. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे
19. सुश्री बाँसुरी स्वराज
20. श्री अक्षय यादव
21. रिक्त

<u>राज्य सभा</u>

22. डॉ. जॉन ब्रिटास
23. श्री राघव चड्ढा
24. श्रीमती सागरिका घोष
25. डा. के. लक्ष्मण
26. श्री सतनाम सिंह संधू
27. श्री राजीव शुक्ला
28. श्री रतनजीत प्रताप नारायन सिंह
29. डा. सुधांशु त्रिवेदी
30. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी*
31. रिक्त

---

* डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, संसद सदस्य, राज्य सभा को 03.06.2026 से समिति में मनोनीत किया गया।

श्री ए. डी. सिंह, संसद सदस्य, राज्य सभा, 09.04.2026 को सेवानिवृत्त हुए।

@ श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला, संसद सदस्य, राज्य सभा 21.06.2026 को सेवानिवृत्त हुए।

सचिवालय

1.	श्री अंजनी कुमार	–	संयुक्त सचिव
2.	श्री शांगरिसो जिमिक	–	निदेशक
3.	डॉ. स्मिता सिंह	–	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, विदेशी मामलों संबंधी समिति (2025-26) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने पर 'भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य' विषय पर विदेशी मामलों संबंधी समिति (अठारहवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. नौवां प्रतिवेदन 18 दिसंबर 2025 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के जवाब विदेश मंत्रालय से 26 फरवरी, 2026 (अंग्रेजी संस्करण) और 11 जुलाई, 2026 (हिंदी संस्करण) को प्राप्त हुए।

3. समिति ने 21 जुलाई, 2026 को हुई अपनी बैठक में इस की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया। समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन के अनुबंध-एक में दिए गए हैं।

4. विदेशी मामलों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का एक विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

नई दिल्ली
21 जुलाई, 2026
30 आषाढ़, 1948 (शक)

डॉ. शशि थरूर,
सभापति,
विदेशी मामलों संबंधी समिति

अध्याय- एक

विदेशी मामलों संबंधी समिति का यह प्रतिवेदन 'भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य' विषय पर समिति के नौवें प्रतिवेदन, जिसे 18 दिसंबर, 2025 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है।

2 विदेश मंत्रालय से प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 33 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गये हैं। इन्हें इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:
सिफारिश संख्या: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. 24, 25, 27, 29, 30, 32 और 33

कुल- 25

अध्याय- दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:
सिफारिश संख्या: शून्य

कुल-0

अध्याय- तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:
सिफारिश संख्या : शून्य

कुल- 0

अध्याय- चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:
सिफारिश संख्या: 5, 8, 10, 13, 21, 26, 28 और 31

कुल-08

अध्याय- पांच

3 समिति चाहती है कि कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के अंतिम उत्तर इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के तीन माह के भीतर समिति को भेज दिये जाएं।

4 अब समिति अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी, जिन्हें दोहराये जाने अथवा टिप्पणियां किये जाने की आवश्यकता है।

(सिफारिश सं. 1)

<u>बांग्लादेश के साथ संबंध के लिए समग्र दृष्टिकोण</u>

5. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

"समिति इस बात को स्वीकार करती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अद्वितीय संबंध हैं, जो साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति और बलिदानों पर आधारित हैं। पिछले पांच दशकों में, यह संबंध राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों को शामिल करते हुए एक व्यापक और बहुआयामी साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है। भूमि सीमा समझौता (2015), समुद्री सीमा समझौता (2015) और गंगा जल संधि (1996) जैसे प्रमुख मील के पत्थर आपसी विश्वास बनाने और सहयोग को संस्थागत बनाने में सहायक रहे हैं। समिति यह भी नोट करती है कि बांग्लादेश भारत की विदेश नीति संरचना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और इंडो-पैसिफिक रणनीतियों के सम्मिलन पर आधारित है। भारत के विकास सहयोग, क्षमता निर्माण पहलों और सीमा पार संपर्क परियोजनाओं ने एक प्रमुख रणनीतिक और विकास भागीदार के रूप में बांग्लादेश की भूमिका को और सशक्त किया है।

समिति बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों से अवगत है जिसने द्विपक्षीय संबंधों में नई जटिलताओं को जन्म दिया है। समिति अगस्त 2024 की घटनाओं के बाद मौजूदा अस्थिरता पर चिंता व्यक्त करती है, जिनमें हिंसा की घटनाएं, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, समाज के कुछ वर्गों में बढ़ता कट्टरपंथ, अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलें आदि शामिल हैं। समिति नोट करती है कि भारत सरकार ने अंतरिम सरकार और अन्य लोकतांत्रिक हितधारकों के

साथ रचनात्मक जुड़ाव बनाए रखते हुए बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप न करने की एक सुनियोजित नीति अपनाई है। समिति यह भी नोट करती है कि अगस्त 2024 की घटनाओं के बाद बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों के प्रति भारत का समग्र दृष्टिकोण अपरिवर्तित रहा है। भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ रणनीतिक हित के कई मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ जुड़कर, बांग्लादेश के साथ रचनात्मक, व्यावहारिक, पारस्परिक रूप से लाभकारी और दूरदर्शी संबंध बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। समिति यह भी मानती है कि भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश में नई सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का ईमानदारी से प्रयास किया गया है। इस तरह के उच्च-स्तरीय कार्यक्रमों में शामिल हैं: भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रो. यूनुस को बधाई और उन्हें अगस्त 2024 में आयोजित होने वाले तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना; विदेश मंत्री और बांग्लादेश के विदेश सलाहकार के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर सितंबर 2024 में और मस्कट में फरवरी 2025 में बैठक; भारत के विदेश सचिव की 9 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश यात्रा। दोनों देशों के बीच हाल ही में और उच्चतम स्तर की बैठक 4 अप्रैल 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस के बीच बैंकॉक में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इन चल रहे प्रयासों को देखते हुए समिति को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़ते रहेंगे।

समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह 1971 की भावना और आपसी सम्मान पर मजबूती से टिके हुए एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, जन-केंद्रित, दूरदर्शी और समावेशी बांग्लादेश को समर्थन करना जारी रखे। समिति यह सिफारिश भी करती है कि सरकार को विश्वास और संवाद का माहौल बनाने के लिए बांग्लादेश में सभी राजनीतिक, सामाजिक और सिविल समाज के हितधारकों के साथ निरंतर राजनयिक संबंध बनाए रखने चाहिए। इस तरह के जुड़ाव को ट्रैक II और ट्रैक 1.5 कूटनीति द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें लोगों से लोगों के संबंध को मजबूत करने और गलत धारणाओं का मुकाबला करने के लिए संसदीय आदान-प्रदान, थिंक टैंक, शिक्षा जगत, मीडिया और सांस्कृतिक संगठन शामिल हों। समिति यह भी चाहती है कि भारत अंतर को पाटने के लिए सभी प्रकार की सॉफ्ट पावर का लाभ उठाए और भारत विरोधी नैरेटिव के समाधान के लिए तथा संवेदनशील मुद्दों पर गलत सूचना का सामना करने के लिए बांग्लादेश

में मीडिया, सिविल समाज और विभिन्न संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव जारी रखे।"

6. विदेश मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"सरकार ने उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और स्थापित द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की बैठकों के माध्यम से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा है। भारत ने लगातार 1971 के साझा इतिहास और मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, समावेशी और जन-केंद्रित बांग्लादेश के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है।

सरकार ने बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय और समावेशी चुनावी प्रक्रिया से आने वाली सरकार के साथ जुड़ने की अपनी इच्छा भी स्पष्ट रूप से व्यक्त की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की चुनावी सफलता के बाद, पीएम मोदी ने बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान को बधाई दी और उनसे टेलीफोन पर बातचीत करने वाले पहले नेता थे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रधानमंत्री की ओर से एक व्यक्तिगत पत्र सौंपा जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए समर्थन दिया गया तथा प्रधानमंत्री तारिक रहमान को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक होने पर भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया।

ट्रैक II और ट्रैक 1.5 की पहल दोनों देशों द्वारा जारी है। भारत ने मई 2024, दिसंबर 2024 और अक्टूबर 2025 में बांग्लादेश से मीडिया प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी भी की। बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो जाने के बाद संसदीय आदान-प्रदान फिर से शुरू किया जा सकता है। हमारे मिशन और केन्द्र लोगों पर केंद्रित विकास पर आधारित भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय साझेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के अपने प्रयास को सुदृढ़ करने और संवेदनशील मुद्दों पर गलत सूचना का मुकाबला करने के उद्देश्य से विभिन्न संगठनों के मीडिया, नागरिक समाज, विचार-मंचों और हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में हैं।"

7. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में सरकार से यह आग्रह किया था कि वह एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, जन-केंद्रित एवं समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में अपनी वकालत जारी रखे; सभी राजनीतिक दलों तथा सिविल सोसाइटी के

हितधारकों के साथ सतत राजनयिक संवाद बनाए रखे; तथा भारत-विरोधी आख्यानों का प्रभावी प्रतिवाद करने और दुष्प्रचार का निराकरण करने के लिए ट्रैक-II एवं ट्रैक-1.5 कूटनीति, सॉफ्ट पावर तथा मीडिया संवाद का उपयोग करे। समिति आम चुनावों के उपरांत प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का स्वागत करती है। समिति प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष की उपस्थिति तथा माननीय प्रधानमंत्री का सद्भावना संदेश और पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर भारत आने के निमंत्रण के व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किए जाने को भी सकारात्मक रूप से संज्ञान में लेती है। समिति आशा व्यक्त करती है कि बांग्लादेश में निर्वाचित एवं प्रतिनिधिक सरकार के गठन से स्थिरता, लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण तथा द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाने के एक नए अध्याय का सूत्रपात होगा। इन घटनाक्रमों के आलोक में, समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह इस राजनीतिक अवसर का लाभ उठाते हुए द्विपक्षीय संबंधों को उनकी पूर्ण क्षमता के अनुरूप पुनर्स्थापित एवं पुनर्जीवित करे तथा सभी लंबित मुद्दों का समाधान संवेदनशीलता, तत्परता और पारस्परिक लाभ की भावना के साथ करे, जिसकी आधारशिला वर्ष 1971 की भावना में निहित है। समिति विशेष रूप से इस बात पर बल देती है कि संसदीय आदान-प्रदान द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधारस्तंभ है। अब जबकि बांग्लादेश में नई निर्वाचित संसद एवं सरकार का गठन हो चुका है, समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह निकट भविष्य में संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं का शीघ्र आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय एवं त्वरित कदम उठाए तथा भविष्य में ऐसे आदान-प्रदान को नियमित एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान करे।

(सिफारिश सं. 6)

1971 की विरासत की मान्यता और संरक्षण

8. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

"समिति का मानना है कि 1971 का मुक्ति संग्राम भारत-बांग्लादेश संबंधों की नैतिक और ऐतिहासिक नींव बना हुआ है, जो साझा बलिदान और एकजुटता का प्रतीक है। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि भारत ने विभिन्न पहलों के माध्यम से पूर्व सैनिकों का समर्थन किया है, जैसे कि उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए 8 लाख रुपये तक का चिकित्सा उपचार प्रदान करना। अगस्त 2024 की घटना के बाद भी, दोनों देशों ने हमारी दीर्घकालिक परंपरा के अनुरूप, दोनों देशों के सशस्त्र बलों के सैनिकों की पारस्परिक यात्राओं का आयोजन करके 16 दिसंबर 2024 को विजय दिवस मनाया। हालाँकि, समिति को यह देखकर चिंता हुई कि संशोधनवादी आख्यानों का उदय और जागरूकता में कमी आ रही है, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच, जिन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की भूमिका के संबंध में 1971 की घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया होगा। भारत-बांग्लादेश संबंधों में 1971 की विरासत की केंद्रीयता को रेखांकित करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को रणनीतिक लोक राजनय के माध्यम से इस ऐतिहासिक साझेदारी को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए। समिति का मत है कि भारत को बांग्लादेश के साथ संबंध बनाए रखने चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय करने चाहिए कि 1971 के बलिदानों और त्याग को भुलाया न जाए। समिति को उम्मीद है कि 1971 की विरासत दोनों देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना जारी रखेगी।"

9. विदेश मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"सरकार लगातार सार्वजनिक कूटनीति और मैत्री दिवस के आयोजन सहित स्मारक पहलों के माध्यम से भारत-बांग्लादेश संबंधों में 1971 की साझा विरासत के महत्व को रेखांकित करना जारी रखती है। भारत के मिशन और केन्द्र नियमित रूप से ऐतिहासिक साझेदारी और 1971 के साझा बलिदानों को दर्शाने के लिए कार्यक्रम और आउटरीच गतिविधियां करते हैं। सरकार ने दोनों देशों के बीच सद्भावना के स्रोत के रूप में 1971 की विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत की स्थायी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, मुक्ति युद्ध के

दिग्गजों को छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता और अन्य सहायता उपायों का विस्तार भी किया है।"

10. समिति ने यह नोट किया था कि 1971 का मुक्ति संग्राम भारत-बांग्लादेश संबंधों की नैतिक एवं ऐतिहासिक आधारशिला है। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की भूमिका के संबंध में संशोधनवादी आख्यानों के उभरने तथा युवा पीढ़ी में जागरूकता के कम होने पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने मंत्रालय से आग्रह किया था कि वह सक्रिय जन-कूटनीतिक उपाय अपनाए, ताकि वर्ष 1971 के बलिदानों को विस्मृत न होने दिया जाए। समिति इस बात से संतोष व्यक्त करती है कि सरकार ने मैत्री दिवस के आयोजन, भारतीय मिशनों एवं पोस्टों द्वारा नियमित जनसंपर्क कार्यकलापों तथा मुक्ति संग्राम के पूर्व सैनिकों के निरंतर कल्याणार्थ सहायता के माध्यम से इस साझा विरासत का सम्मान बनाए रखा है। तथापि, समिति का मत है कि 1971 की विरासत का संरक्षण केवल स्मरणोत्सव संबंधी आयोजनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। समिति का मत है कि इसे केवल एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों के एक जीवंत आधार के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका बांग्लादेश के समाज के सभी वर्गों, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व तथा युवा पीढ़ी सहित, के बीच निरंतर संवर्धन किया जाना आवश्यक है। समिति की इच्छा है कि मंत्रालय इस विषय पर कूटनीतिक माध्यमों से नई बांग्लादेश सरकार के साथ सूझबूझ एवं संवेदनशीलता के साथ निरंतर संवाद बनाए रखे, ताकि वर्ष 1971 की स्मृति को समावेशी एवं भविष्य-दृष्टि से परिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय संबंधों के ताने-बाने में समाहित किया जा सके। समिति का यह भी मत है कि शैक्षणिक आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान पहलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा जन-से-जन संपर्कों के माध्यम से बांग्लादेश के युवाओं तक पहुंच को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी वर्ष 1971 की ऐतिहासिक घटनाओं तथा उनसे दोनों देशों के लोगों के बीच स्थापित स्थायी संबंधों की सम्यक एवं संतुलित समझ विकसित कर सके। समिति

की यह भी इच्छा है कि मुक्ति संग्राम के पूर्व सैनिकों के लिए संचालित कल्याणकारी उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाए, ताकि वे निरंतर सार्थक एवं प्रभावी बने रहें।

(सिफारिश सं. 7)

<u>द्विपक्षीय और राजनयिक जुड़ाव को सशक्त करना</u>

11. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

"समिति नोट करती है कि भारत और बांग्लादेश को एक व्यापक राजनयिक संरचना से लाभ होता है जिसमें मंत्रिस्तरीय, सचिव और तकनीकी स्तरों पर काम करने वाले 40 से अधिक संरचित तंत्र शामिल हैं। इस ढांचे के शीर्ष पर संयुक्त सलाहकार आयोग (जेसीसी) है, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री और बांग्लादेश के विदेश मंत्री करते हैं। इसके बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों के नेतृत्व में विदेश कार्यालय परामर्श होता है। क्षेत्र-विशिष्ट पहल में सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी, व्यापार और वाणिज्य, जल संसाधन, विद्युत और ऊर्जा, विकास सहयोग और लोगों के बीच संबंध सहित द्विपक्षीय सहयोग की व्यापकता शामिल है। समिति इन वार्ताओं से प्राप्त महत्वपूर्ण परिणामों की सराहना करती है, जिसमें भूमि सीमा समझौते का प्रस्ताव, सीमा पार विद्युत संपर्क का प्रचालन, सीमा प्रबंधन समन्वय में वृद्धि और व्यापार और कनेक्टिविटी पहलों का विस्तार शामिल है। समिति सिफारिश करती है कि भारत को इन तंत्रों का लाभ उठाना और इसे सशक्त करना जारी रखना चाहिए, ताकि संयुक्त सलाहकार आयोगों, विदेश कार्यालय परामर्शों, गृह सचिव, वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता, संयुक्त नदी आयोगों आदि के माध्यम से नियमित रूप से जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके ताकि चिंताओं का समय पर समाधान किया जा सके। समिति को आशा है कि संस्थागत संवाद उभरती चुनौतियों का समाधान करने, गलत सूचना को दूर करने और क्षेत्रीय अनिश्चितताओं के बीच भी द्विपक्षीय लाभों को मजबूत करने में मदद करेगा।"

12. विदेश मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं। अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसी

बैठकें जारी रहीं हैं। भारत सरकार महत्व के शेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बांग्लादेश के साथ ऐसी बैठकों के आयोजन को प्राथमिकता देना जारी रखेगी।"

13. समिति ने यह नोट किया था कि भारत-बांग्लादेश संबंधों को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए एक विस्तृत राजनयिक तंत्र विद्यमान है, जिसमें मंत्री, सचिव तथा तकनीकी स्तर पर कार्यरत 40 से अधिक संरचित तंत्र शामिल हैं। समिति ने इन तंत्रों के माध्यम से प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों, जैसे भूमि सीमा समझौते का समाधान, सीमा-पार विद्युत संपर्कों का परिचालन तथा व्यापार एवं संपर्क (कनेक्टिविटी) संबंधी पहलों के विस्तार, का भी संज्ञान लिया था। समिति ने सिफारिश की थी कि भारत को इन तंत्रों का नियमित रूप से उपयोग करते हुए उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहिए तथा संयुक्त परामर्शदात्री आयोग, विदेश कार्यालय परामर्श, गृह सचिव एवं वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ताओं तथा संयुक्त नदी आयोग सहित अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखते हुए लंबित मुद्दों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पणी सामान्य एवं संक्षिप्त प्रकृति की है तथा उसमें समिति की सिफारिश के अनुपालन में वास्तव में उठाए गए कदमों के संबंध में कोई ठोस एवं सारगर्भित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। यद्यपि मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर में द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों के महत्व की पुनः पुष्टि की गई है तथा ऐसी बैठकों को प्राथमिकता दिए जाने की मंशा व्यक्त की गई है, तथापि उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि समीक्षा अवधि के दौरान किन-किन संस्थागत तंत्रों की बैठकें आयोजित की गईं। समिति अपनी पूर्व सिफारिश को पुनः दोहराती है तथा इच्छा करती है कि मंत्रालय बांग्लादेश के साथ आयोजित द्विपक्षीय संस्थागत सहभागिताओं का एक व्यापक विवरण उपलब्ध कराए, जिसमें सक्रिय किए गए विशिष्ट तंत्रों, विचार-विमर्श किए गए मुद्दों तथा प्राप्त परिणामों का समग्र ब्यौरा सम्मिलित हो। अब जबकि बांग्लादेश में नई निर्वाचित सरकार का गठन हो चुका है, समिति आग्रह करती है कि द्विपक्षीय

संस्थागत तंत्रों की संपूर्ण व्यवस्था को पुनः सक्रिय किया जाए। संयुक्त परामर्शदात्री आयोग, विदेश कार्यालय परामर्श, गृह सचिव एवं वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ताओं तथा संयुक्त नदी आयोग की नियमित बैठकें समयबद्ध तरीके से आयोजित की जानी चाहिए।

(सिफारिश सं. 8)

<u>भूमि सीमा समझौते और सीमा निर्धारण को पूरा करना</u>

14. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

"समिति नोट करती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में हस्ताक्षरित भूमि सीमा समझौता (एलबीए) एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने अंतःक्षेत्रों के आदान-प्रदान और भूमि सीमा को तर्कसंगत बनाने के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों में सबसे जटिल और काफी समय से लंबित मुद्दों में से एक को हल किया। साथ ही, उसी वर्ष संपन्न समुद्री सीमा समझौते ने आपसी विश्वास को और मजबूत किया और एक अधिक स्थिर और सहकारी सीमा प्रबंधन ढांचे के लिए आधार तैयार किया। हालांकि, समिति नोट करती है कि अवशिष्ट सीमा निर्धारण की समस्याएं, विशेष रूप से सुंदरवन जैसे दुर्गम इलाकों में अनसुलझी हैं। अत: समिति सिफारिश करती है कि सरकार को अवशिष्ट सीमा निर्धारण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में तेजी लानी चाहिए ताकि भूमि सीमा समझौते के माध्यम से प्राप्त लाभों को समेकित किया जा सके और अधिक प्रभावी सीमा प्रबंधन में योगदान दिया जा सके। समिति की यह राय है कि बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए शेष क्षेत्रों का सीमा निर्धारण समय पर पूरा करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।"

15. विदेश मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"बांग्लादेश सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अधिकांश क्षेत्रों में सीमांकन किया गया है। कुछ शेष हिस्सों में सीमांकन उचित स्तर पर विचाराधीन है। सीमांकन के लंबित मुद्दों पर उचित संस्थागत तंत्र पर चर्चा जारी है: संयुक्त सीमा सम्मेलन (जेबीसी)। इन मुद्दों पर 21-23 नवंबर 2022 के बीच ढाका में आयोजित

बांग्लादेश और भारत के बीच 5वें संयुक्त सीमा सम्मेलन (जेबीसी) में चर्चा की गई थी।"

16. समिति ने यह नोट किया था कि यद्यपि वर्ष 2015 का भूमि सीमा समझौता द्विपक्षीय संबंधों के सबसे जटिल एवं काफी समय से लंबित मुद्दों में से एक के समाधान की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि था, तथापि विशेष रूप से सुंदरबन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सीमा के अवशिष्ट सीमांकन से संबंधित कुछ चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। समिति ने सिफारिश की थी कि शेष सीमा सीमांकन का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर शीघ्र पूरा किया जाए। समिति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पणी से यह नोट करती है कि कुछ शेष क्षेत्रों में सीमांकन का कार्य विचाराधीन है। तथापि, लंबित सीमांकन की वर्तमान स्थिति के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। समिति को यह जानकर आश्चर्य होता है कि मंत्रालय द्वारा उल्लिखित नवीनतम द्विपक्षीय सहभागिता 5 नवंबर, 2022 को ढाका में आयोजित 5वें संयुक्त सीमा सम्मेलन तक ही सीमित है तथा उसके पश्चात् की अवधि में किसी अनुवर्ती कार्रवाई अथवा बैठक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। समिति मंत्रालय से इस संबंध में अधिक विस्तृत एवं अद्यतन उत्तर की अपेक्षा करती है। अतः समिति की इच्छा है कि लंबित सीमा सीमांकन का कार्य, विशेष रूप से सुंदरबन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, जिसका सीमा प्रबंधन, स्थानीय समुदायों तथा द्विपक्षीय विश्वास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, यथाशीघ्र पूरा किया जाए। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि अगले संयुक्त सीमा सम्मेलन का आयोजन यथाशीघ्र किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इस संबंध में विचार-विमर्श अधिक नियमित अंतराल पर आयोजित हों। शेष सीमा सीमांकन का कार्य पूरा करने के लिए एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार की जाए और उसका आवश्यक तात्कालिकता के साथ पालन किया जाए। समिति की इच्छा है कि इस संबंध में हुई ठोस प्रगति से उसे समय-समय पर अवगत कराया जाए।

(सिफारिश सं. 9)

भारत विरोधी आख्यानों का सामना करने के लिए रणनीतिक संचार निकाय

17. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

"समिति का मानना है कि बांग्लादेशी मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के कुछ वर्गों में लगातार गलत सूचना और भारत विरोधी बयानबाजी ने धारणा संबंधी चुनौतियां पैदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वह अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों को शामिल करते हुए समन्वित प्रयासों के माध्यम से धारणाओं और आख्यानों के समाधान के लिए नोडल निकाय बना हुआ है। डिजिटल आख्यानों के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार करते हुए, समिति का सुझाव है कि विदेश मंत्रालय को बाह्य प्रचार और लोक राजनय (एक्सपीडी) प्रभाग के भीतर एक समर्पित रणनीतिक संचार और धारणा प्रबंधन इकाई स्थापित करनी चाहिए जो गृह, रक्षा और सूचना तथा प्रसारण जैसे संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय करेगी ताकि तथ्यात्मक जानकारी की निगरानी, विश्लेषण और प्रसार किया जा सके, भारत विरोधी प्रचार का सामना किया जा सके और भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाया जा सके।"

18. विदेश मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"विदेश मंत्रालय बांग्लादेशी समाचार मीडिया और सोशल मीडिया आउटलेट्स सहित विदेशी मीडिया में भारत विरोधी प्रचार और कथनों की लगातार निगरानी, विश्लेषण और मुकाबला करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक्सपीडी डिवीजन के पास एक तंत्र है। डिवीजन अपनी तथ्य-जांच इकाई के माध्यम से फर्जी खबरों और झूठे कथनों का मुकाबला करता है और मंत्रालय, विदेशों में मिशन और पोस्ट और अन्य हितधारकों के सोशल मीडिया हैंडल सहित लगातार आधार पर भारत के बारे में सकारात्मक कहानियों को आगे बढ़ाता है।

2. फर्जी खबरों से निपटने के लिए भारत सरकार के अंतर-एजेंसी प्रयासों में एक्सपीडी डिवीजन सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह प्रभाग नियमित रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (ए) के अनुसार गठित अंतर-विभागीय समितियों (आईडीसी) की बैठकों में भाग लेता है, ताकि समाचार मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुष्प्रचार और फर्जी खबरों का मुकाबला किया जा सके। एमआईबी के नेतृत्व वाली आईडीसी में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, एमईआईटीवाई और फिक्की के

प्रतिनिधि भी हैं। मंत्रालय ने आईडीसी के माध्यम से बांग्लादेशी समाचार मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चल रहे भारत विरोधी गलत सूचना अभियानों का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई की है।

3. हाल के दिनों में, एमआईबी के नेतृत्व वाली आईडीसी बैठकों की आवृत्ति एक महीने में 1-2 बैठकों से बढ़कर अब 7-8 बैठकें हो गई है, क्योंकि आईडीसी सक्रिय रूप से फर्जी आख्यानों और दुष्प्रचार का मुकाबला कर रहा है। एक्सपीडी डिवीजन दैनिक आधार पर एमईआईटीवाई के नेतृत्व वाली आईडीसी के साथ शामिल है।

4. आगे बढ़ते हुए, एक्सपीडी डिवीजन एआई के उपयोग सहित नए उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को अपनाकर विदेशी मीडिया में भारत विरोधी प्रचार और आख्यानों का मुकाबला करने के लिए अपनी तंत्र को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है।"

19. समिति ने यह नोट किया था कि बांग्लादेश के कुछ मीडिया माध्यमों तथा डिजिटल मंचों पर भारत के संबंध में निरंतर प्रसारित किए जा रहे दुष्प्रचार तथा भारत-विरोधी प्रचार ने भारत की छवि के समक्ष गंभीर धारणा-संबंधी चुनौतियां उत्पन्न की हैं। समिति ने तदनुसार सिफारिश की थी कि मंत्रालय बाह्य प्रचार एवं जन कूटनीति प्रभाग (एक्सपीडी) के अंतर्गत एक समर्पित रणनीतिक संचार एवं धारणा प्रबंधन इकाई की स्थापना करे, जो समन्वित एवं व्यवस्थित तरीके से भारत-विरोधी आख्यानों की निगरानी, उनका विश्लेषण तथा उनका प्रभावी प्रतिवाद करने का कार्य करे। समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पणी पर सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा यह स्वीकार करती है कि बाह्य प्रचार एवं जन कूटनीति (एक्सपीडी) प्रभाग तथ्य-जांच (फैक्ट-चेकिंग) करता है, अंतर-विभागीय समितियों (आईडीसी) में भाग लेता है तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के नेतृत्व में गठित अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) की बैठकों में भागीदारी तथा सोशल मीडिया मंचों का संचालन, यद्यपि उपयोगी है, इसे सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परिभाषित युग में स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिदेश, पर्याप्त

संसाधनों और प्रभावी ढंग से त्वरित प्रतिक्रिया देने से सुदृढ़ किया जाना चाहिए, भले ही एक पृथक इकाई की आवश्यकता हो।

समिति की सुविचारित राय में, सूचना एवं डिजिटल परिदृश्य में मूलभूत परिवर्तन हो चुका है, जहां आख्यान अत्यंत तीव्र गति से निर्मित होते हैं, एल्गोरिदम के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किए जाते हैं तथा वास्तविक समय में सीमाओं के पार उपयोग किए जाते हैं। इस परिवेश में, समिति का मानना है कि बाह्य प्रचार एवं जन कूटनीति (एक्सपीडी) प्रभाग के भीतर मौजूदा व्यवस्थाओं को शामिल चुनौतियों के पैमाने और परिष्कार से मेल खाने के लिए उन्नत किया जा सकता है। इसलिए समिति मंत्रालय से एआई आधारित निगरानी और विश्लेषण सहित आधुनिक उपकरणों से लैस होने, कई भाषाओं और प्लेटफार्मों पर कार्य करने की क्षमता रखने और गृह, रक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के साथ-साथ विदेशों में भारत के मिशनों और पोस्टों के साथ वास्तविक समय में समन्वय बनाए रखने का आग्रह करती है। समिति की इच्छा है कि इस संबंध में शीघ्रता से ठोस कार्रवाई की जाए और समिति को अवगत कराया जाए।

(सिफारिश सं. 10)

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) का लाभ उठाना

20. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

"समिति का मानना है कि क्षेत्रीय सहयोग समूह, विशेष रूप से बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) बांग्लादेश के साथ संपर्क को प्रगाढ़ बनाने, व्यापार को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान-प्रदान को समृद्ध करने के लिए एक आशाजनक अवसर प्रदान करता है। ढाका और मुख्यालय वाले बिम्सटेक सचिवालय बांग्लादेश द्वारा अगले एक वर्ष के लिए बिम्सटेक की अध्यक्षता के साथ, समिति इसे दोनों देशों के लिए राजनयिक और तकनीकी सहयोग को सशक्त करने के लिए एक सामयिक अवसर के रूप में देखती है। समिति को यह बताया गया है कि एशियाई विकास बैंक की मदद से बिम्सटेक म्यांमार और

थाईलैंड सहित पूरे क्षेत्र के लिए परिवहन संपर्क पर एक 'मास्टर प्लान' लेकर आया है। समिति सिफारिश करती है कि भारत को बांग्लादेश की अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश को पूर्ण राजनयिक और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सहायता से परिवहन संपर्क के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान को लागू करने की दिशा में मिलकर कार्य करना चाहिए। समिति को इस संबंध में हुए सभी घटनाक्रमों से अवगत कराया जाए।"

21. विदेश मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के मौके पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक की अध्यक्षता ग्रहण करने पर बांग्लादेश को बधाई दी और इस मंच को अपने नेतृत्व में क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक दिखे। ढाका में हमारा मिशन इसे एक सक्रिय क्षेत्रीय मंच में बदलने के प्रयास में विभिन्न प्लेटफार्मों पर बांग्लादेश में इस समूह को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

औपचारिक रूप से 30 मार्च 2022 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित पांचवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक मास्टर प्लान को अपनाया गया था। पिछले साल 6 मार्च, 2025 को परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान की मध्य-अवधि समीक्षा प्रगति का आकलन करने और क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क में सुधार के लिए भविष्य के कदमों की रणनीति बनाने के लिए आयोजित की गई थी। अप्रैल 2025 में बैंकॉक में आयोजित 6 वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में, समुद्री परिवहन सहयोग पर बिम्सटेक समझौते (एएमटीसी) को अपनाया गया था। एएमटीसी की पुष्टि करने वाला भारत पहला देश था, और जुलाई 2025 में विशाखापत्तनम में आयोजित दूसरे बिम्सटेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान, भारत सरकार ने बांग्लादेश और अन्य सदस्य देशों में कार्यान्वयन का समर्थन करने और तकनीकी क्षमता के निर्माण के लिए मुंबई में एक बिम्सटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट (बीएसएमएआरटीसी) स्थापित करने की घोषणा की।"

22. बांग्लादेश के साथ संपर्क, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को धनिष्ठ करने में बिम्सटेक की क्षमता को स्वीकार करते हुए, समिति ने सिफारिश की थी कि भारत को अपनी अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश को पूर्ण राजनयिक और

तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) सहायता के साथ परिवहन संपर्क के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान को लागू करने की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। समिति की-गई-कार्रवाई उत्तर को नोट करती है और अप्रैल 2025 में बैंकॉक शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई द्विपक्षीय बैठक, समुद्री परिवहन सहयोग पर बिम्सटेक समझौते का भारत द्वारा शीघ्र अनुसमर्थन और मुंबई में सतत समुद्री परिवहन में बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा सहित रिपोर्ट किए गए घटनाक्रमों से व्यापक रूप से संतुष्ट है। तथापि, समिति नोट करती है कि उत्तर में परिवहन संपर्क के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान, जो समिति की सिफारिशों के केंद्र में थी, के कार्यान्वयन की स्थिति पर कोई ठोस अद्यतन जानकारी नहीं दी गई है। मार्च 2025 में एक मध्यावधि समीक्षा आयोजित की गई थी, समिति को उत्तर से यह संकेत मिलने की उम्मीद थी कि क्या प्रगति हुई है। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय बिम्सटेक मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक विशिष्ट अद्यतन प्रस्तुत करे, जिसमें भारत द्वारा निभाई जा रही भूमिका और इस संबंध में बांग्लादेश को दिया जा रहा समर्थन शामिल है। समिति यह भी चाहती है कि उसे आगे के घटनाक्रमों से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश सं. 13)

<u>सीमा पर बाड़ लगाना</u>

23. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

"समिति नोट करती है कि भारत-बांग्लादेश सीमा के कुल 4096 किलोमीटर में से लगभग 3231 किलोमीटर पर बाड़ लगा दी गई है, जबकि लगभग 864 किलोमीटर दुर्गम इलाकों और नदी की स्थिति के कारण बाड़ नहीं लगा है। समिति को सूचित किया गया है कि लगभग 689 किलोमीटर तक बाड़ लगाना संभव है, परंतु लगभग 175 किलोमीटर का इलाका दुर्गम होने के कारण यह महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत-बांग्लादेश सीमा के 150 गज के भीतर निर्माण को

प्रतिबंधित करने वाले द्विपक्षीय समझौतें और भूमि अधिग्रहण की बाधाएं जैसे मुद्दे प्रक्रिया को और जटिल बनाते हैं।

यह मानते हुए कि प्रभावी सीमा प्रबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, समिति सिफारिश करती है कि भारत सरकार बांग्लादेश के साथ मिलकर तकनीकी डिजाइन, व्यवहार्यता अध्ययन और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं में तेजी लाकर शेष बाड़ लगाने के काम को पूरा करने को प्राथमिकता दे। समिति आगे सिफारिश करती है कि गृह मंत्रालय को विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ समन्वय में दुर्गम नदी सीमा और जनसंख्या वाले क्षेत्रों में फ्लोटिंग फेंसिंग, लेजर आधारित घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली और स्मार्ट सेंसर जैसे अभिनव इंजीनियरिंग और तकनीकी समाधानों को अपनाना चाहिए, जहां पारंपरिक बाड़ लगाना अव्यावधरिक है।"

24. विदेश मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"भारत सरकार के संबंधित अधिकारी, व्यवहार्य क्षेत्रों में सीमा बाड़ लगाने का कार्य पूरा करने के लिए संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ भूमि अधिग्रहण के मामलों को नियमित रूप से आगे बढ़ाते हैं।

2. गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, भारत-बांग्लादेश सीमा के सभी अनछुए क्षेत्रों को तकनीकी समाधानों के माध्यम से कवर किया जाना है। इस उद्देश्य हेतु, बीएसएफ ने व्यापक तकनीकी समाधान प्रस्तावित किए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।"

25. समिति ने नोट किया था कि भारत-बांग्लादेश सीमा के कुल 4,096 किलोमीटर में से लगभग 864 किलोमीटर कठिन भूभाग और नदी की स्थितियों के कारण बिना बाड़ के हैं। समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार को भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने और अस्थायी बाड़, लेजर आधारित घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली और उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक बाड़ लगाना अव्यावहारिक है, स्मार्ट सेंसर जैसे नवीन तकनीकी समाधानों को अपनाने के माध्यम से शेष बाड़ को पूरा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। समिति की-गई-कार्रवाई उत्तर से यह नोट करती हा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों को आगे बढ़ाया जा रहा है और

बीएसएफ के प्रस्तावित व्यापक तकनीकी समाधान "विचाराधीन" हैं। भूमि अधिग्रहण की गति, बाड़ लगाने का काम पूरा होने, प्रस्तावित तकनीकी समाधानों की प्रकृति या कार्यान्वयन के लिए किसी भी समय-सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। समिति का सुविचारित मत है कि 864 किलोमीटर की बिना बाड़ वाली सीमा का राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और सीमा-पार अपराध पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए समिति अपनी सिफारिशों को दोहराती है और गृह मंत्रालय से विदेश मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने और बीएसएफ द्वारा प्रस्तावित तकनीकी समाधानों को जल्द से जल्द मंजूरी देने का आग्रह करती है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट क्षेत्रवार समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। समिति चाहती है कि उन्हें जल्द से जल्द प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए।

(सिफारिश सं. 22 और 23)

<u>विकास साझेदारी</u>

26. समिति ने अपने प्रतिवेदन (सिफारिश सं. 22) में निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

> "समिति नोट करती है कि अवसंरचना के विकास और संपर्क सहयोग भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला के रूप में उभरा है, जिसमें न केवल रेल, सड़क और जलमार्ग के माध्यम से भौतिक संपर्क शामिल है, बल्कि ऊर्जा और डिजिटल संपर्क भी शामिल हैं। भारत ने अवसंरचना, ऊर्जा और सामुदायिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान के रूप में बांग्लादेश को लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकासात्मक सहायता प्रदान की है। समिति ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, खुलना-मोंगला, अगरतला-अखौरा रेल लाइनें, भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और फेनी पर मैत्री पुल के पूरा होने जैसी पहलों के माध्यम से हासिल की गई ठोस प्रगति को स्वीकार करते हुए चिंता व्यक्त की कि कुछ परियोजनाओं को निविदा बाधाओं, प्रक्रियात्मक बाधाओं और

परियोजना क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी बाधाओं के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है।

समिति आगे पाती है कि इन संपर्क पहलों से आपसी लाभ हुआ है, व्यापार विस्तार में सुविधा हुई है, क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंच में सुधार हुआ है, लोगों के बीच संपर्क मजबूत हुआ है और व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक एकीकरण में योगदान हुआ है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता है कि हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रियायती वित्त परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए ढाका का दौरा किया, जिससे इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पारस्परिक रूप से सम्मत रूपरेखा का विकास हुआ। चालू परियोजनाओं में ढाका-टोंगी जॉयडेपुर रेलवे लाइन, कुलाउरु शबाजपुर रेलवे लाइन, रामगढ़ से बरैयारहाट रोड को चौड़ा करना, रूपपुर परमाणु संयंत्र में निकासी लाइनें आदि शामिल हैं। विभिन्न इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) परियोजनाओं के लिए भी निविदा जारी की जा रही है, जैसे कि खुलना-दर्शना रेलवे लाइन, पार्बतीपुर कौनिया रेलवे लाइन, बोगरा से शहीद एम. मुसुर अली स्टेशन रेलवे लाइन, आशुगंग अंतर्देशीय कंटेनर नदी पत्तन परियोजना, मोंगला पत्तन परियोजना का उन्नयन आदि।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि बांग्लादेश को भारत सरकार से बड़ी विकासात्मक सहायता मिली है, समिति मंत्रालय के इस विचार से सहमत है कि बेहतर संपर्क से व्यापार बढ़ा, क्षेत्रीय एकीकरण और पूर्वोत्तर राज्यों तक बेहतर पहुंच जैसे आपसी लाभ होते हैं। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय को बांग्लादेश में चल रही प्रमुख परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।"

27. विदेश मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"बांग्लादेश के साथ भारत का विकास सहयोग, जो ऋण सहायता (एलओसी) और अनुदान सहायता के माध्यम से दिया जाता है, द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। इस रूपरेखा के तहत शुरू की गई कई प्रमुख संबंध और ऊर्जा परियोजनाओं ने व्यापार सुगमता, क्षेत्रीय एकीकरण और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ संपर्क को मजबूत किया है।

भारत सरकार/एलओसी परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित परियोजना निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। इसमें द्विपक्षीय एलओसी परियोजना समीक्षा बैठकें, परियोजना निगरानी समिति की बैठकें, तकनीकी समिति की बैठकें, परियोजना संचालन समिति की

बैठकें और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक आभासी समीक्षा बैठकें शामिल हैं। ये तंत्र सभी हितधारकों के साथ नियमित संपर्क को सुगम बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर प्रगति का आकलन करने और क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग, भारत एक्जिम बैंक, संबंधित परियोजना अधिकारियों और बांग्लादेश सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक संबंध प्रभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर संयुक्त स्थल निरीक्षण किए जाते हैं। सरकार संबंध को मजबूत करने, व्यापार का विस्तार करने और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को समर्थन देने के उद्देश्य से बांग्लादेश सरकार के परामर्श से विकास साझेदारी परियोजनाओं के समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।"

28. समिति ने अपने प्रतिवेदन (सिफारिश सं. 23) में निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

"समिति को बताया गया है कि मंत्रालय बांग्लादेश सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं की आंतरिक समीक्षा कर रहा है। समिति नोट करती है कि ऐसे उदाहरण हैं जहां ऋण स्वीकृति के बावजूद परियोजनाएं शुरू नहीं हुई हैं। समिति यह भी नोट करती है कि विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने विकासात्मक साझेदारी परियोजनाओं पर चल रहे सहयोग को जारी रखने की इच्छा व्यक्त की।

इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विदेश मंत्रालय को उच्च प्रभाव वाली, व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें समय पर पूरा करने को प्राथमिकता देने के लिए मौजूदा लाइन ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और उसे तर्कसंगत बनाना चाहिए। समिति चाहती है कि उसे तीन महीने में इस समीक्षा कार्य के परिणाम से अवगत कराया जाए। इसके अतिरिक्त, समिति का सुझाव है कि सरकार को रणनीतिक संचार और आउटरीच प्रयासों के माध्यम से सफल विकास साझेदारी पहलों को सक्रिय रूप से प्रचारित करना चाहिए, जिससे एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में भारत की छवि बढ़े और बांग्लादेश के लोगों के बीच अपनी सॉफ्ट पावर को मजबूत किया जा सके।"

29. विदेश मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"भारत सरकार द्वारा समर्थित एलओसी परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई।स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से किया गया। 5-6 मार्च 2025 को ढाका में 23 वीं द्विपक्षीय एलओसी समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें एलओसी पर चल रही सभी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बांग्लादेश के साथ उन चुनौतियों पर चर्चा की गई, जिन्होंने परियोजना कार्यान्वयन को प्रभावित किया है, जिनमें भारतीय कर्मियों और संपत्तियों की सुरक्षा, परियोजना की तैयारियों का अभाव और बार-बार कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आदि शामिल हैं। आपसी परामर्श के बाद, दोनों पक्ष पूर्व-कार्यान्वयन चरण में मौजूद बारह परियोजनाओं को सूची से हटाने पर सहमत हुए। परियोजना की व्यवहार्यता और जमीनी स्तर पर हुई प्रगति के आधार पर, एलओसी पर चल रही आठ परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर और समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए चुना गया है।

2. बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाओं के प्रति समग्र धारणा सकारात्मक बनी हुई है, क्योंकि इन परियोजनाओं से बांग्लादेश के लोगों को ठोस लाभ प्राप्त हो रहे हैं। बांग्लादेश में भारतीय मिशन और केंद्र समन्वित संपर्क, मीडिया सहभागिता और सार्वजनिक कूटनीति के माध्यम से सफल विकास साझेदारी पहलों की दृश्यता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सरकार नियंत्रण रेखा के संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने, उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और बांग्लादेश के साथ विकास साझेदारी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

30. भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में संपर्क और विकास साझेदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए, समिति ने प्राथमिकता वाले निष्पादन के लिए उच्च प्रभाव वाली, व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने के लिए चल रही प्रमुख परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) पोर्टफोलियो की व्यापक समीक्षा करने की सिफारिश की थी। समिति यह नोट करके संतुष्ट है कि एक संरचित परियोजना निगरानी तंत्र मौजूद है और 23वीं द्विपक्षीय एलओसी समीक्षा बैठक मार्च 2025 में ढाका में आयोजित की गई थी। समिति यह भी नोट करती है कि आपसी परामर्श के बाद, बारह पूर्व-निष्पादन चरण परियोजनाओं को सूची से हटा दिया गया है और प्राथमिकता और समयबद्ध निष्पादन के लिए आठ चल रही परियोजनाओं की

पहचान की गई है। ये सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। समिति नोट करती है कि बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन की अवधि ने अनिवार्य रूप से विकास सहयोग की गति में कुछ अनिश्चितता उत्पन्न कर दी थी। ढाका में अब लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के साथ, समिति ने अपनी आशा व्यक्त की कि विकास साझेदारी नई गति प्राप्त करेगी और आने वाले समय में यह तेज होगी। समिति मंत्रालय से इस अवसर का लाभ उठाने, विकास सहयोग एजेंडे पर नई सरकार को सक्रिय रूप से शामिल करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाए। समिति चाहती है कि उसे नियमित रूप से प्रगति के बारे में सूचित किया जाए।

(सिफारिश सं. 27)

<u>आईटीईसी और आईसीसीआर के तहत मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण</u>

31. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

"समिति नोट करती है कि मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण पहल, विशेष रूप से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम और आईसीसीआर छात्रवृत्ति के माध्यम से बांग्लादेश के साथ भारत के विकास सहयोग प्रयासों का एक प्रमुख घटक है। समिति का मानना है कि पिछले दशक में 3,000 से अधिक बांग्लादेशी छात्रों को आईसीसीआर छात्रवृत्ति दी गई है और शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 500 छात्रवृत्ति प्रक्रियाधीन हैं। समिति को बताया गया है कि ये छात्रवृत्ति लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने और बांग्लादेशी छात्रों को भारत को बेहतर ढंग से जानने और समझने के अवसर प्रदान करने में उपयोगी रही हैं। समिति यह भी नोट करती है कि भारत में विभिन्न प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में नागरिक सेवाओं, पुलिस, न्यायपालिका आदि के

बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि मार्च 2021 में, भारत ने बांग्लादेशी छात्रों के लिए 1000 'सुबर्ण जयंती छात्रवृत्ति' की घोषणा की थी। अब तक, 2022-2024 के बीच बांग्लादेशी छात्रों को 900 से अधिक छात्रवृत्ति दी जा चुकी हैं। इसके अलावा, मुक्तिजोधा छात्रवृत्ति योजना के तहत, बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 24,018 छात्रवृत्ति दी गई हैं।

समिति यह जानकर प्रसन्न है कि आईसीसीआर छात्रवृत्ति और आईटीईसी पाठ्यक्रमों जैसी प्रमुख पहल बांग्लादेशी छात्रों और पेशेवरों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। समिति चाहती है कि अधिक से अधिक बांग्लादेशी युवाओं, छात्रों और पेशेवरों को आईसीसीआर और आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत अवसर प्रदान किए जाएं। इसलिए, समिति भारत सरकार से बांग्लादेश के लिए आईटीईसी और आईसीसीआर छात्रवृत्ति की संख्या और विविधता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का आग्रह करती है, जिसमें विशेष रूप से डिजिटल नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। समिति यह भी सुझाव देती है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कार्यक्रम उभरती जरूरतों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के प्रति उत्तरदायी रहें। समिति आगे चाहती है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मुक्तिजोधा छात्रवृत्ति योजना के तहत अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। समिति चाहती है कि बांग्लादेशी पेशेवरों, शोधकर्ताओं और युवाओं की बढ़ती संख्या को विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट, कौशल उन्मुख और अन्य प्रशिक्षण मॉड्यूल से लाभ मिलना चाहिए।"

32. विदेश मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"बांग्लादेश भारत के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का सबसे बड़ा लाभार्थी बना हुआ है। आईटीईसी संरचना के तहत, शासन, लोक प्रशासन, पुलिस और न्यायिक प्रशिक्षण के पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ डिजिटल नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, 65 अधिकारियों ने भारत में आईटीईसी पाठ्यक्रमों में भाग लिया, और वित्त वर्ष 2025-26 (आज तक) में, 25 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण लिया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) जैसे संस्थानों के माध्यम से आयोजित पाठ्यक्रमों सहित अनुकूलित कार्यक्रम, बांग्लादेश सरकार द्वारा व्यक्त की गई क्षेत्रीय अपेक्षाओं के जवाब में तैयार किए जा रहे हैं।

आईसीसीआर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में बांग्लादेशी छात्रों की मजबूत भागीदारी जारी है। वित्त वर्ष 2025-26 में, आईसीसीआर ने सुबर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना के तहत 497 छात्रवृत्तियां, लता मंगेशकर नृत्य और संगीत छात्रवृत्ति योजना के तहत 46 और आयुष छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। जनवरी 2025 से भारतीय संस्थानों में स्व-वित्तपोषित प्रवेश के तहत 2,161 से अधिक बांग्लादेशी छात्रों को वीजा भी दिया गया है। एसटीईएम विषयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सुबर्ण जयंती छात्रवृत्ति की वर्तमान आपूर्ति पर फिर से विचार करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

मुक्तिजोध्दाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत, बांग्लादेश में उच्च माध्यमिक और स्नातक अध्ययन करने के लिए मुक्तिजोध्दाओं के बच्चों को प्रति वर्ष 2000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अब तक इस योजना के तहत 24,018 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। योजना के प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से मुक्तिजोध्दा छात्रवृत्ति' योजना की समीक्षा की जा रही है। मुक्तिजोध्दा चिकित्सा योजना के तहत, 2019 से मुक्तिजोध्दाओं को भारत में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

बांग्लादेश हेतु छात्रवृत्ति की संख्या और विविधता को बढ़ाने के लिए समिति के प्रस्ताव को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।"

33. समिति ने नोट किया था कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) और आईसीसीआर छात्रवृत्ति के माध्यम से मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण पहल बांग्लादेश के साथ भारत के विकास सहयोग का एक प्रमुख घटक है। समिति ने सरकार से डिजिटल नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सतत कृषि जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईटीईसी और आईसीसीआर छात्रवृत्ति की संख्या और विविधता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का आग्रह किया था। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि मुक्तिजोधा छात्रवृत्ति योजना के तहत युद्ध मे भाग ले चुके पूर्व सैनिकों के बच्चों को और अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। समिति की-गई-कार्रवाई उत्तर को नोट करती है और रिपोर्ट की गई प्रगति से व्यापक रूप से संतुष्ट है। आईटीईसी प्रशिक्षण की निरंतरता, सुबोर्नो जयंती योजना के तहत 497 छात्रवृत्ति प्रदान

करना और एसटीईएम विषयों की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव सकारात्मक कदम हैं। तथापि, समिति नोट करती है कि वित्त वर्ष 2024-25 में केवल 65 प्रतिभागियों और वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 25 प्रतिभागियों के साथ आईटीईसी की भागीदारी की संख्या मामूली बनी हुई है। समिति यह भी नोट करती है कि मुक्तिजोधा छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए की जा रही है। समिति चाहती है कि इन संख्याओं को सार्थक रूप से वृद्धि की जाए। एसटीईएम विषयों के पक्ष में सुबोर्नो जयंती छात्रवृत्ति के वितरण पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है और इसे तेजी से इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाना चाहिए। इसी तरह मुक्तिजोधा छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा बिना किसी देरी के पूरी की जानी चाहिए और इसके परिणामों को समिति को सूचित किया जाना चाहिए।

(सिफारिश सं. 30)

जल सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना

34. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

"समिति का मानना है कि जल बंटवारा भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। भारत और बांग्लादेश 54 सीमा-पार नदियों को साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच गंगा नदी के संबंध में गंगा जल संधि नमक जल बंटवारा संधि भी हुई है इसके अतिरिक्त फेनी और कुशियारा नदियों से पानी लेने के लिए भी समझौता ज्ञापन हुआ है। 1972 में स्थापित भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी), बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, चक्रवात चेतावनी और बाढ़ पूर्वानुमान सहित साझा जल संसाधनों पर सहयोग के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। समिति यह भी नोट करती है कि जेआरसी की एक बैठक मार्च 2025 में कोलकाता में आयोजित की गई थी।

जेआरसी की तकनीकी स्तर की बैठक (टीएलएम) दोनों पक्षों के विशेषज्ञों को विस्तृत और मुद्दे-विशिष्ट चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है।

मंत्रालय ने समिति को आगे बताया कि तीस्ता, मनु, खोवाई और धारला नदियों पर और अधिक जल बंटवारा संधियों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों के बीच चर्चा चल रही है। जबकि जेआरसी और गंगा जल संधि द्विपक्षीय जल सहयोग की आधारशिला बनी हुई है, समिति ने पाया कि अन्य प्रमुख साझा नदियों, विशेष रूप से तीस्ता पर समझौतों के अभाव के कारण लगातार चुनौतियाँ बनी हुई है।

समिति का मानना है कि दोनों देशों के बीच समग्र नदी जल सहयोग ढांचे को उचित महत्व और संस्थागत नियमितता दी जानी चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार के साथ समन्वय में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीकी और मंत्रिस्तरीय दोनों स्तरों पर संयुक्त नदी आयोग की बैठकें नियमित और समयबद्ध आधार पर आयोजित की जाएं। समिति विशेषज्ञ की राय से भी सहमत है कि शुष्क मौसम के दौरान प्रमुख नदियों के जल बंटवारे से आगे बढ़ते हुए, दोनों देशों के बीच जल सहयोग बढ़ना चाहिए और इसमें जलभृत पुनर्भरण, नदी कायाकल्प और तकनीकी सहयोग जैसी सूक्ष्म-स्तरीय पहल शामिल होनी चाहिए। दोनों देशों को स्थानीय जल प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा जलवायु लचीलापन बढ़ाने और आपसी विश्वास को मजबूत करने के लिए मनु, खोवाई और धारला जैसी छोटी सीमा पार नदियों पर संयुक्त परियोजनाओं का सक्रिय रूप से पता लगाना चाहिए।"

35. विदेश मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) संबंधी द्विपक्षीय संस्थागत संरचना वर्ष 1972 में स्थापित की गई थी। जेआरसी संरचना के तहत द्विपक्षीय बैठकें दोनों देशों की आपसी सुविधा के अनुसार आयोजित की जाती हैं। गंगा जल साझा करने के लिए संयुक्त समिति की बैठकें वर्ष में तीन बार आयोजित की जाती हैं। (पिछली बैठक सितंबर 2025 में आयोजित की गई थी)।

भारत और बांग्लादेश 54 सीमा पार / समान सीमा वाली नदियों को साझा करते हैं। आज तक की स्थिति के अनुसार, त्रिपुरा राज्य में सबरूम शहर की पेयजल आपूर्ति योजना के लिए फेनी नदी से जल प्राप्त करने के लिए 2019 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और समान सीमा नदी कुशियारा से जल प्राप्त करने के लिए 2022 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अलावा, दोनों देशों ने फरक्का में

गंगा के पानी को साझा करने के संबंध में एक संधि (1996 में हस्ताक्षरित) पर हस्ताक्षर किए हैं।

जेआरसी संरचना के तहत तकनीकी स्तर की बैठक में समान-सीमा / सीमा-पार नदियों पर नदी जल साझा करने के अलावा आपसी हित के अन्य जल संसाधन संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श किया जाता है। तकनीकी स्तर की बैठक में विचार-विमर्श का एजेंडा आपसी सहमति से तय किया जाता है।"

36. समिति ने पाया था कि भारत और बांग्लादेश 54 सीमा पार नदियों को साझा करते हैं और 1996 की गंगा जल संधि और संयुक्त नदी आयोग (जे. आर. सी.) दोनों देशों के बीच जल सहयोग की आधारशिला बने हुए हैं, लेकिन प्रमुख साझा नदियों, विशेष रूप से तीस्ता पर समझौतों का अभाव लगातार चुनौतियों का कारण बना हुआ है। समिति ने नियमित और समयबद्ध जेआरसी बैठकों की सिफारिश की थी और यह भी आग्रह किया था कि प्रमुख नदियों के मौसमी बंटवारे के अलावा जल सहयोग का विस्तार किया जाए, जिसमें जलभृत पुनर्भरण, नदी कायाकल्प और मनु, खोवाई और धारला जैसी सीमा पार छोटी नदियों संबंधी संयुक्त परियोजनाएं शामिल हों। समिति नोट करती है कि की-गई-कार्रवाई उत्तर काफी हद तक मौजूदा संस्थागत ढांचे की पुनः गणना तक ही सीमित है। तीस्ता वार्ता की स्थिति, जे. आर. सी. की बैठकों के परिणामों और समिति द्वारा अनुशंसित व्यापक जल सहयोग एजेंडे की दिशा में उठाए गए कदमों पर कोई ठोस अद्यतन जानकारी नहीं दी गई है, जिसमें सूक्ष्म-स्तरीय पहल और छोटे नदी सहयोग शामिल हैं, जो समिति की सिफारिशों का एक विशिष्ट केन्द्र थे।

समिति की राय है कि पानी का बंटवारा दोनों देशों के रिश्तों के सबसे संवेदनशील और अहम पहलुओं में से एक है। तीस्ता समझौते का बहुत लंबे समय से समाधान नहीं हो पाया है। बांग्लादेश में चुनी हुई नई सरकार के आने से समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह इन वार्ताओं को नई गति दे। स्पष्ट एजेंडा और मापनीय परिणामों के साथ तकनीकी और मंत्रालयी दोनों स्तरों पर

जेआरसी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। समिति यह भी दोहराती है कि पानी के मामले में सहयोग सिर्फ़ बड़ी नदियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। सीमा पार बहने वाली छोटी नदियों पर संयुक्त पहल और भूजल पुनर्भरण एवं नदी का कायाकल्प जैसे छोटे स्तर के उपायों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। समिति इन सभी मामलों पर पूरी जानकारी चाहती है।

(सिफारिश सं. 31)

<u>गंगा जल संधि का नवीकरण</u>

37. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

"समिति नोट करती है कि 1996 की गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है जो 30 साल की अवधि के लिए फरक्का बैराज में गंगा नदी के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है। समिति को बताया गया है कि गंगा जल संधि में पश्चिम बंगाल राज्य की महत्वपूर्ण भागीदारी शामिल है, जिसमें पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने संधि के प्रावधानों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने भी मार्च 2025 में कोलकाता में आयोजित जेआरसी की सबसे हालिया बैठक में भाग लिया। समिति यह भी नोट करती है कि यह संधि 2026 में समाप्त होने वाली है और इसके नवीकरण पर द्विपक्षीय चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है।

समिति सिफारिश करती है कि भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ जल्द से जल्द द्विपक्षीय चर्चा शुरू करनी चाहिए, ताकि 2026 के बाद की अवधि में किसी भी तरह की कमी से बचा जा सके। समिति आगे सिफारिश करती है कि नवीकरण प्रक्रिया को अद्यतन जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों तथा जलवायु परिवर्तन अनुमानों और नदी जल के न्यायसंगत और सतत उपयोग की आवश्यकता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, समिति इस बात पर जोर देती है कि संबंधित राज्य सरकारों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ परामर्श जारी रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बातचीत की प्रक्रिया के दौरान भारत की स्थिति तैयार करने में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हितों को संरेखित किया जा सके। समिति इस बात पर भी जोर देती है कि तीस्ता नदी के जल का बंटवारा पश्चिम बंगाल राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए, तीस्ता

पर बातचीत के दौरान भारत सरकार द्वारा उसकी चिंताओं का विधिवत समाधान किया जाए।"

38. विदेश मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"गंगा जल साझाकरण संधि की आंतरिक समीक्षा के लिए जुलाई 2023 में डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सरकारों के संबंधित हितधारक भी इस समिति के सदस्य हैं। नई सरकार के तहत बांग्लादेश में द्विपक्षीय चर्चा शुरू होने की उम्मीद है।

2. केंद्र सरकार का प्रयास है कि हमारे तटवर्ती राज्यों के साथ परामर्श करके उचित और न्यायसंगत आधार पर तीस्ता संबंधी एक करार किया जाए, जो सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार्य हो और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करे।"

39. यह देखते हुए कि 1996 की गंगा जल संधि 2026 में खत्म होने वाली है और इसके नवीनीकरण पर अभी तक दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू नहीं हुई है, समिति ने अद्यतन जल विज्ञान आंकड़ों और जलवायु परिवर्तन अनुमानों द्वारा निर्देशित नवीनीकरण चर्चाओं को शीघ्र आरंभ करने और पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सरकारों के परामर्श से सिफारिश की थी। समिति ने बातचीत के दौरान तीस्ता पर पश्चिम बंगाल की चिंताओं को दूर करने के महत्व पर भी ज़ोर दिया था। समिति यह नोट करती है कि संधि की आंतरिक समीक्षा के लिए जुलाई 2023 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई गई थी और बांग्लादेश में नई सरकार के तहत दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। तथापि, ये सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन समिति को चिंता है कि 2026 में संधि के खत्म होने के कारण अब कम समय बचा है।

समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह बिना किसी और देरी के बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू करे। अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा आंतरिक समीक्षा का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि बातचीत के लिए भारत का पक्ष तैयार हो सके। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल

और बिहार की राज्य सरकारों के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए। तीस्ता के मामले में समिति दोहराती है कि एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समझौता प्राथमिकता बना हुआ है और पश्चिम बंगाल की चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। समिति को आशा है कि दोनों पक्ष इस बातचीत को सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ाएंगे और इसे समय पर पूरा करेंगे।

अध्याय- दो

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश सं. 1

बांग्लादेश के साथ संबंध के लिए समग्र दृष्टिकोण

समिति इस बात को स्वीकार करती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अद्वितीय संबंध हैं, जो साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति और बलिदानों पर आधारित हैं। पिछले पांच दशकों में, यह संबंध राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों को शामिल करते हुए एक व्यापक और बहुआयामी साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है। भूमि सीमा समझौता (2015), समुद्री सीमा समझौता (2015) और गंगा जल संधि (1996) जैसे प्रमुख मील के पत्थर आपसी विश्वास बनाने और सहयोग को संस्थागत बनाने में सहायक रहे हैं। समिति यह भी नोट करती है कि बांग्लादेश भारत की विदेश नीति संरचना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और इंडो-पैसिफिक रणनीतियों के सम्मिलन पर आधारित है। भारत के विकास सहयोग, क्षमता निर्माण पहलों और सीमा पार संपर्क परियोजनाओं ने एक प्रमुख रणनीतिक और विकास भागीदार के रूप में बांग्लादेश की भूमिका को और सशक्त किया है।

समिति बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों से अवगत है जिसने द्विपक्षीय संबंधों में नई जटिलताओं को जन्म दिया है। समिति अगस्त 2024 की घटनाओं के बाद मौजूदा अस्थिरता पर चिंता व्यक्त करती है, जिनमें हिंसा की घटनाएं, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, समाज के कुछ वर्गों में बढ़ता कट्टरपंथ, अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलें आदि शामिल हैं। समिति नोट करती है कि भारत सरकार ने अंतरिम सरकार और अन्य लोकतांत्रिक हितधारकों के साथ रचनात्मक जुड़ाव बनाए रखते हुए बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप न करने की एक सुनियोजित नीति अपनाई है। समिति यह भी नोट करती है कि अगस्त 2024 की घटनाओं के बाद बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों के प्रति भारत का समग्र दृष्टिकोण अपरिवर्तित रहा है। भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ रणनीतिक हित के कई मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ जुड़कर, बांग्लादेश के साथ रचनात्मक, व्यावहारिक, पारस्परिक रूप से लाभकारी और दूरदर्शी संबंध बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। समिति यह भी मानती है कि भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश में नई सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का ईमानदारी से प्रयास किया गया है। इस तरह के उच्च-

स्तरीय कार्यक्रमों में शामिल हैं: भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रो. यूनुस को बधाई और उन्हें अगस्त 2024 में आयोजित होने वाले तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना; विदेश मंत्री और बांग्लादेश के विदेश सलाहकार के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर सितंबर 2024 में और मस्कट में फरवरी 2025 में बैठक; भारत के विदेश सचिव की 9 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश यात्रा। दोनों देशों के बीच हाल ही में और उच्चतम स्तर की बैठक 4 अप्रैल 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस के बीच बैंकॉक में छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इन चल रहे प्रयासों को देखते हुए समिति को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़ते रहेंगे।

समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह 1971 की भावना और आपसी सम्मान पर मजबूती से टिके हुए एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, जन-केंद्रित, दूरदर्शी और समावेशी बांग्लादेश को समर्थन करना जारी रखे। समिति यह सिफारिश भी करती है कि सरकार को विश्वास और संवाद का माहौल बनाने के लिए बांग्लादेश में सभी राजनीतिक, सामाजिक और सिविल समाज के हितधारकों के साथ निरंतर राजनयिक संबंध बनाए रखने चाहिए। इस तरह के जुड़ाव को ट्रैक II और ट्रैक 1.5 कूटनीति द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें लोगों से लोगों के संबंध को मजबूत करने और गलत धारणाओं का मुकाबला करने के लिए संसदीय आदान-प्रदान, थिंक टैंक, शिक्षा जगत, मीडिया और सांस्कृतिक संगठन शामिल हों। समिति यह भी चाहती है कि भारत अंतर को पाटने के लिए सभी प्रकार की सॉफ्ट पावर का लाभ उठाए और भारत विरोधी नैरेटिव के समाधान के लिए तथा संवेदनशील मुद्दों पर गलत सूचना का सामना करने के लिए बांग्लादेश में मीडिया, सिविल समाज और विभिन्न संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव जारी रखे।

सरकार का उत्तर

सरकार ने उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और स्थापित द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की बैठकों के माध्यम से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा है। भारत ने लगातार 1971 के साझा इतिहास और मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, समावेशी और जन-केंद्रित बांग्लादेश के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है।

2. सरकार ने बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय और समावेशी चुनावी प्रक्रिया से आने वाली सरकार के साथ जुड़ने की अपनी इच्छा भी स्पष्ट रूप से व्यक्त की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की चुनावी सफलता के बाद, पीएम मोदी ने बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान को बधाई दी और उनसे टेलीफोन पर बातचीत करने वाले पहले नेता थे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रधानमंत्री की ओर से एक व्यक्तिगत पत्र सौंपा जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए समर्थन दिया गया तथा प्रधानमंत्री तारिक रहमान को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक होने पर भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया।

3. ट्रैक II और ट्रैक 1.5 की पहल दोनों देशों द्वारा जारी है। भारत ने मई 2024, दिसंबर 2024 और अक्टूबर 2025 में बांग्लादेश से मीडिया प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी भी की। बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो जाने के बाद संसदीय आदान-प्रदान फिर से शुरू किया जा सकता है। हमारे मिशन और केन्द्र लोगों पर केंद्रित विकास पर आधारित भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय साझेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के अपने प्रयास को सुदृढ़ करने और संवेदनशील मुद्दों पर गलत सूचना का मुकाबला करने के उद्देश्य से विभिन्न संगठनों के मीडिया, नागरिक समाज, विचार-मंचों और हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में हैं।

[फाइल सं. एए/पर्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 2

<u>लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन करना</u>

समिति अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश में उभरती राजनीतिक स्थिति, विशेष रूप से लोकतांत्रिक चुनाओं, राजनीतिक हिंसा और चरमपंथ के उदय से जुड़ी अनिश्चितता को चिंता के साथ नोट करती है। हालांकि भारत ने लगातार रचनात्मक और व्यावहारिक संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है, इन घटनाओं ने विशेष रूप से सुरक्षा सहयोग और लोगों के संबंधों के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों के कुछ पहलुओं को तनावपूर्ण बना दिया है। समिति का मानना है कि बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम पर भारत की प्रतिक्रिया कूटनीतिक और गैर-हस्तक्षेपवादी है। समिति नोट करती है कि भारत ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और समावेशी बांग्लादेश के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और इस उद्देश्य के लिए भारत बांग्लादेश में सहभागितापूर्ण और

समावेशी चुनाव प्रक्रिया का प्रबल समर्थक रहा है और इसे राजनीतिक स्थिरता बहाल करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखता है।

समिति इस तरह के तीव्रगामी और परिवर्तनकारी अवधि के दौरान भारत सरकार की शांत कूटनीति की सराहना करती है। ऐसे तीव्र और परिवर्तनकारी बदलावों को देखते हुए शांत कूटनीति के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रदर्शन सराहनीय है। बांग्लादेश की सम्प्रभुता का सम्मान करते हुए और उसकी घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने से बचते हुए, समिति की इच्छा है कि भारत स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाओं को प्रोत्साहित करते हुए बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन करना जारी रखे।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए लगातार अपना समर्थन प्रदान किया है और शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय और समावेशी चुनावों के महत्व पर जोर दिया है। सरकार का लक्ष्य रचनात्मक, व्यावहारिक और एक लोकतांत्रिक और स्थिर बांग्लादेश के लिए सहायक तरीके से संपर्क बनाए रखना है।

[फाइल सं. एए/पर्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 3

<u>अल्पसंख्यकों पर हमले</u>

समिति अगस्त 2024 की घटनाओं के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जारी हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। पूजा स्थलों, सांस्कृतिक संस्थानों और व्यक्तियों पर हमलों ने बांग्लादेश के सामाजिक ताने-बाने को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। हालांकि भारत सरकार ने लगातार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, इन मुद्दों के समाधान के लिए ठोस उपायों की कमी, बांग्लादेश के अधिकारियों द्वारा घटना को 'राजनीतिक हत्याओं' के रूप में दिखाने के प्रयास परेशान करने वाली है। समिति नोट करती है कि 18 मई 2025 तक अल्पसंख्यकों के विरूद्ध हमलों की 2446 सूचनाएं मिली है। भारत द्वारा विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान बांग्लादेश के साथ मुद्दा उठाए जाने के बाद ही दिसंबर 2024

तक 70 गिरफ्तारियां की गई हैं और 88 मामले दर्ज किए गए हैं। समिति नोट करती है कि यह अल्पसंख्यकों पर हमलों की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है।

समिति का सुविचारित मत है कि विदेश मंत्रालय को अपने रणनीतिक जुड़ाव के मुख्य तत्व के रूप में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखना चाहिए, साथ ही बांग्लादेश के प्राधिकारियों से सभी अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने और हिंसा के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार ने बांग्लादेश में अधिकारियों के साथ राजनीतिक और राजनयिक दोनों स्तरों पर अनेक अवसरों पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा का मुद्दा लगातार उठाया है। प्रधानमंत्री द्वारा 04 अप्रैल 2025 को मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के साथ बैठक के दौरान और विदेश मंत्री द्वारा 16 फरवरी 2025 को विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया था। अन्य विदेशी वार्ताकारों के साथ प्रासंगिक बैठकों में भी इस मुद्दे को उठाया गया है।

2. भारत सरकार की अपेक्षा है कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों से संबंधित घटनाओं की पूरी तरह से जांच करके और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा के सभी अपराधियों को बिना किसी बहाने के न्याय के कटघरे में लाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार पर है।

[फाइल सं. एए/पर्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 4

<u>आतंकवाद और चरमपंथी हिंसा के रिकॉर्ड वाले कैदियों की रिहाई</u>

समिति ने जुलाई और अगस्त 2025 के दौरान बांग्लादेश में अराजकता के बीच जेल से भागने के दौरान आतंकवाद और चरमपंथी हिंसा के आरोपी कैदियों की रिहाई के साथ-साथ सजायाफ्ता चरमपंथियों और आतंकवादियों के भागने पर चिंता व्यक्त की। समिति को बताया गया है कि ये लोग अब बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं का प्रसार कर रहें हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। समिति नोट

करती है कि इससे अस्थिरता और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों संबंधी खतरा है, जिसका असर भारत के उत्तर-पूर्व पर पड़ेगा। समिति यह चाहती है कि भारत उनकी गतिविधियों की सतर्कतापूर्वक निगरानी करना जारी रखे और यह सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के साथ भी जुड़ें कि इस तरह के घटनाक्रम से विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार सतर्क है और बांग्लादेश में उग्रवाद और आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखती है, जिसका भारत की सुरक्षा पर, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में, प्रभाव पड़ सकता है और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखता है। हमारी द्विपक्षीय भागीदारी के हिस्से के रूप में सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर हमारी अपेक्षाएं भी बांग्लादेश सरकार को बता दी गई हैं।

[फाइल सं. एए/पर्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 6

1971 की विरासत की मान्यता और संरक्षण

समिति का मानना है कि 1971 का मुक्ति संग्राम भारत-बांग्लादेश संबंधों की नैतिक और ऐतिहासिक नींव बना हुआ है, जो साझा बलिदान और एकजुटता का प्रतीक है। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि भारत ने विभिन्न पहलों के माध्यम से पूर्व सैनिकों का समर्थन किया है, जैसे कि उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए 8 लाख रुपये तक का चिकित्सा उपचार प्रदान करना। अगस्त 2024 की घटना के बाद भी, दोनों देशों ने हमारी दीर्घकालिक परंपरा के अनुरूप, दोनों देशों के सशस्त्र बलों के सैनिकों की पारस्परिक यात्राओं का आयोजन करके 16 दिसंबर 2024 को विजय दिवस मनाया। हालाँकि, समिति को यह देखकर चिंता हुई कि संशोधनवादी आख्यानों का उदय और जागरूकता में कमी आ रही है, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच, जिन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की भूमिका के संबंध में 1971 की घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया होगा। भारत-बांग्लादेश संबंधों में 1971 की विरासत की केंद्रीयता को रेखांकित करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को रणनीतिक लोक राजनय के माध्यम से इस ऐतिहासिक साझेदारी को

संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए। समिति का मत है कि भारत को बांग्लादेश के साथ संबंध बनाए रखने चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय करने चाहिए कि 1971 के बलिदानों और त्याग को भुलाया न जाए। समिति को उम्मीद है कि 1971 की विरासत दोनों देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना जारी रखेगी।

सरकार का उत्तर

सरकार लगातार सार्वजनिक कूटनीति और मैत्री दिवस के आयोजन सहित स्मारक पहलों के माध्यम से भारत-बांग्लादेश संबंधों में 1971 की साझा विरासत के महत्व को रेखांकित करना जारी रखती है। भारत के मिशन और केन्द्र नियमित रूप से ऐतिहासिक साझेदारी और 1971 के साझा बलिदानों को दर्शाने के लिए कार्यक्रम और आउटरीच गतिविधियां करते हैं। सरकार ने दोनों देशों के बीच सद्भावना के स्रोत के रूप में 1971 की विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत की स्थायी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, मुक्ति युद्ध के दिग्गजों को छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता और अन्य सहायता उपायों का विस्तार भी किया है।

[फाइल सं. एए/पर्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 7

<u>द्विपक्षीय और राजनयिक जुड़ाव को सशक्त करना</u>

समिति नोट करती है कि भारत और बांग्लादेश को एक व्यापक राजनयिक संरचना से लाभ होता है जिसमें मंत्रिस्तरीय, सचिव और तकनीकी स्तरों पर काम करने वाले 40 से अधिक संरचित तंत्र शामिल हैं। इस ढांचे के शीर्ष पर संयुक्त सलाहकार आयोग (जेसीसी) है, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री और बांग्लादेश के विदेश मंत्री करते हैं। इसके बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों के नेतृत्व में विदेश कार्यालय परामर्श होता है। क्षेत्र-विशिष्ट पहल में सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी, व्यापार और वाणिज्य, जल संसाधन, विद्युत और ऊर्जा, विकास सहयोग और लोगों के बीच संबंध सहित द्विपक्षीय सहयोग की व्यापकता शामिल है। समिति इन वार्ताओं से प्राप्त महत्वपूर्ण परिणामों की सराहना करती है, जिसमें भूमि सीमा समझौते का प्रस्ताव, सीमा पार विद्युत संपर्क का प्रचालन, सीमा प्रबंधन समन्वय में वृद्धि और व्यापार और कनेक्टिविटी पहलों का विस्तार शामिल है। समिति सिफारिश करती है कि भारत को इन तंत्रों का लाभ उठाना

और इसे सशक्त करना जारी रखना चाहिए, ताकि संयुक्त सलाहकार आयोगों, विदेश कार्यालय परामर्शों, गृह सचिव, वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता, संयुक्त नदी आयोगों आदि के माध्यम से नियमित रूप से जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके ताकि चिंताओं का समय पर समाधान किया जा सके। समिति को आशा है कि संस्थागत संवाद उभरती चुनौतियों का समाधान करने, गलत सूचना को दूर करने और क्षेत्रीय अनिश्चितताओं के बीच भी द्विपक्षीय लाभों को मजबूत करने में मदद करेगा।

सरकार का उत्तर

द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं। अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसी बैठकें जारी रहीं हैं। भारत सरकार महत्व के शेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बांग्लादेश के साथ ऐसी बैठकों के आयोजन को प्राथमिकता देना जारी रखेगी।

[फाइल सं. एए/पर्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 9

भारत विरोधी आख्यानों का सामना करने के लिए रणनीतिक संचार निकाय

समिति का मानना है कि बांग्लादेशी मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के कुछ वर्गों में लगातार गलत सूचना और भारत विरोधी बयानबाजी ने धारणा संबंधी चुनौतियां पैदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वह अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों को शामिल करते हुए समन्वित प्रयासों के माध्यम से धारणाओं और आख्यानों के समाधान के लिए नोडल निकाय बना हुआ है। डिजिटल आख्यानों के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार करते हुए, समिति का सुझाव है कि विदेश मंत्रालय को बाह्य प्रचार और लोक राजनय (एक्सपीडी) प्रभाग के भीतर एक समर्पित रणनीतिक संचार और धारणा प्रबंधन इकाई स्थापित करनी चाहिए जो गृह, रक्षा और सूचना तथा प्रसारण जैसे संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय करेगी ताकि तथ्यात्मक जानकारी की निगरानी, विश्लेषण और प्रसार किया जा सके, भारत विरोधी प्रचार का सामना किया जा सके और भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाया जा सके।

सरकार का उत्तर

विदेश मंत्रालय बांग्लादेशी समाचार मीडिया और सोशल मीडिया आउटलेट्स सहित विदेशी मीडिया में भारत विरोधी प्रचार और कथनों की लगातार निगरानी, विश्लेषण और मुकाबला करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक्सपीडी डिवीजन के पास एक तंत्र है। डिवीजन अपनी तथ्य-जांच इकाई के माध्यम से फर्जी खबरों और झूठे कथनों का मुकाबला करता है और मंत्रालय, विदेशों में मिशन और पोस्ट और अन्य हितधारकों के सोशल मीडिया हैंडल सहित लगातार आधार पर भारत के बारे में सकारात्मक कहानियों को आगे बढ़ाता है।

2. फर्जी खबरों से निपटने के लिए भारत सरकार के अंतर-एजेंसी प्रयासों में एक्सपीडी डिवीजन सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह प्रभाग नियमित रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (ए) के अनुसार गठित अंतर-विभागीय समितियों (आईडीसी) की बैठकों में भाग लेता है, ताकि समाचार मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुष्प्रचार और फर्जी खबरों का मुकाबला किया जा सके। एमआईबी के नेतृत्व वाली आईडीसी में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, एमईआईटीवाई और फिक्की के प्रतिनिधि भी हैं। मंत्रालय ने आईडीसी के माध्यम से बांग्लादेशी समाचार मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चल रहे भारत विरोधी गलत सूचना अभियानों का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई की है।

3. हाल के दिनों में, एमआईबी के नेतृत्व वाली आईडीसी बैठकों की आवृत्ति एक महीने में 1-2 बैठकों से बढ़कर अब 7-8 बैठकें हो गई है, क्योंकि आईडीसी सक्रिय रूप से फर्जी आख्यानों और दुष्प्रचार का मुकाबला कर रहा है। एक्सपीडी डिवीजन दैनिक आधार पर एमईआईटीवाई के नेतृत्व वाली आईडीसी के साथ शामिल है।

4. आगे बढ़ते हुए, एक्सपीडी डिवीजन एआई के उपयोग सहित नए उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को अपनाकर विदेशी मीडिया में भारत विरोधी प्रचार और आख्यानों का मुकाबला करने के लिए अपनी तंत्र को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है।

[फाइल सं. एए/पर्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 11

<u>बढ़ते चीनी प्रभाव की निगरानी</u>

समिति बांग्लादेश में चीन की बढ़ती छाप, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के विकास, बंदरगाह विस्तार और रक्षा सहयोग, जिसमें मोंगला बंदरगाह परियोजना और लालमनिरहाट एयरबेस शामिल हैं, को दखकर चिंतित है। समिति नोट करती है कि बांग्लादेश ने मोंगला बंदरगाह पर 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विस्तार परियोजना को लागू करने के लिए मार्च 2025 में चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि लालमनिरहाट एयरबेस को चीनी सहायता से विकसित किया जा रहा है, हालांकि बांग्लादेश सेना के सैन्य संचालन निदेशक ने कहा है कि वर्तमान में सैन्य उपयोग के लिए हवाईपट्टी को उन्नत करने की कोई योजना नहीं है। समिति जमात-ए-इस्लामी पार्टी की हाल की चीन यात्रा को भी नोट करती है, जो स्पष्ट रूप से बांग्लादेश में विभिन्न गुटों के साथ उसके व्यापक जुड़ाव का संकेत देती, जिससे उसकी उपस्थिति और मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त, समिति यह जानकर चिंतित है कि चीन द्वारा पेकुआ में एक पनडुब्बी बेस बनाया गया है, जो आठ पनडुब्बियों को समायोजित करने में सक्षम है, जबकि बांग्लादेश के पास केवल दो हैं। अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में, समिति को बताया गया है कि चीन काफी समय से बांग्लादेश में मौजूद है और जरूरी नहीं कि यह हाल के राजनीतिक घटनाक्रम का परिणाम हो। मंत्रालय ने समिति को बताया है कि भीतरी इलाकों से बंदरगाह की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत ने एक प्रमुख रेल कनेक्टिविटी परियोजना, खुलना-मोंगला रेलवे लाइन को वित्तपोषित और पूरा किया है। भारत ने अपने हितों के संरक्षण के लिए पारगमन पहुंच के लिए चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर बांग्लादेश के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। समिति विशेष रूप से सिलीगुड़ी गलियारे और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से संबंधित विविध साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के संप्रभु अधिकार को मान्यता देते हुए भारत के रणनीतिक और सुरक्षा हितों की रक्षा के महत्व पर जोर देती है। इस संबंध में, चीनी सहायता से लालमनिरहाट एयरबेस का विकास, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, समिति के लिए चिंता का विषय है।

समिति सिफारिश करती है कि सरकार बांग्लादेश में विदेशी शक्तियों की गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करे, यह देखते हुए कि बांग्लादेश में सैन्य आधार स्थापित करने के लिए गैर-मित्र देशों द्वारा कोई भी प्रयास हमारे देश के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करेगा। समिति सरकार से यह आग्रह भी करती है कि वह विश्वास बढ़ाने और बांग्लादेश के सबसे विश्वसनीय भागीदार के रूप में

भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए विकास सहयोग में भारत के तुलनात्मक लाभ का फायदा उठाए।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले पड़ोसी देशों में होने वाले सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखती है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[फ़ाइल सं. एए/संसद/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 12

<u>सीमा प्रबंधन</u>

समिति नोट करती है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है, जिससे यह विश्व की पांचवीं सबसे लंबी सीमा बन गई है। यह सीमा पांच भारतीय राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, जिसमें पहाड़ी, वन और नदी क्षेत्रों सहित विविध भू-भाग शामिल हैं। समिति इस बात को स्वीकार करती है कि ऐसी विविध स्थलाकृतिक स्थितियां प्रभावी सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अद्वितीय चुनौती प्रस्तुत करती हैं। समिति नोट करती है कि भारत ने आतंकवाद और चरमपंथी गतिविधियों के विरुद्ध संयुक्त अभियानों में बांग्लादेश के साथ काम किया है। दोनों देशों के सीमा रक्षक बलों ने लंबे समय से संयुक्त गश्त का अभ्यास किया है, विशेष रूप से नदी क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में जहां सीमा सुरक्षा कठिन है। सीमा विवादों को दूर करने, मानवीय चिंताओं का प्रबंधन करने और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए नियमित बैठकें, सीमा वार्ता और संयुक्त कार्य समूह स्थापित किए जाते हैं। मंत्रालय ने समिति को बताया है कि दोनों देशों की सरकारों के बीच निरंतर द्विपक्षीय जुड़ाव भारत की सीमा प्रबंधन रणनीति की आधारशिला है। हालाँकि, समिति नोट करती है कि पिछले एक वर्ष के दौरान बांग्लादेश में बिगड़ती आंतरिक स्थिति के कारण साझा सीमा पर सुरक्षा तैयारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

समिति को आशा है कि अगस्त 2024 के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में वर्तमान चुनौतियों से सीमा सुरक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित करने

के लिए दोनों देशों के बीच स्थापित और चल रहे सहकारी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि भारत सरकार को सीमा से संबंधित सभी मुद्दों पर बांग्लादेश के साथ रचनात्मक द्विपक्षीय जुड़ाव जारी रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि बांग्लादेश में विकसित हो रहे राजनीतिक और सुरक्षा विकास सीमा प्रबंधन के लिए संयुक्त तंत्र को कमजोर न करें।

सरकार का उत्तर

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बांग्लादेश सीमा रक्षक बल (बीजीबी) के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) के संदर्भ में, बीएसएफ और बीजीबी के बीच नियमित रूप से संवाद होते रहते हैं, जिसमें समन्वित दिन-रात गश्त, पिलर चेकिंग, फ्लैग मीटिंग, सीमा उल्लंघन की रिपोर्टिंग और सूचनाओं को साझा करना शामिल है। इसका उद्देश्य सीमा पार अपराध को नियंत्रित करने और शांति बनाए रखने के लिए दोनों बलों के बीच समन्वय स्थापित करना है। अगस्त 2024 के बाद, महानिदेशक स्तरीय वार्ता की दो बैठकें फरवरी 2025 और अगस्त 2025 में क्रमशः दिल्ली और ढाका में आयोजित की गईं, जिन्होंने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा से संबंधित सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक संरचित मंच प्रदान किया गया।

[फ़ाइल सं. एए/संसद/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 14

<u>सीमा प्रबंधन में चुनौतियाँ</u>

समिति का मानना है कि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवास, तस्करी, उग्रता और सीमा पार अपराध जैसी निरंतर चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। समिति का मानना है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवास, तस्करी, कट्टरता और सीमा पार अपराध जैसी समस्याएं प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। समिति यह भी नोट करती है कि सामाजिक-आर्थिक कमजोरियां, विशेष रूप से आजीविका के अवसरों की कमी, सीमांत समुदायों को अवैध सीमा पार गतिविधियों में शामिल होने की संभावना बनाते हैं। समिति संयुक्त समन्वित गुप्त सूचना साझाकरण और हॉटलाइन संचार के माध्यम से सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) द्वारा

निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारती है। सीमा की सुरक्षा और विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में से एक पर स्थिरता बनाए रखने में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि नियमित डीजी-स्तरीय वार्ता, संयुक्त कार्य बलों और आतंकवाद, मादक पदार्थों, मानव व्यापार, नकली मुद्रा और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर क्षेत्र-स्तरीय समन्वय तंत्र जैसे संस्थागत तंत्रों के माध्यम से बीएसएफ और बीजीबी के बीच समन्वय को और मजबूत किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, समिति यह भी महसूस करती है कि सरकार को वास्तविक समय निगरानी और प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए ड्रोन, थर्मल कैमरा, मोशन सेंसर और उपग्रह आधारित प्रणालियों जैसे उन्नत आधुनिक निगरानी उपकरणों की तैनाती को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा, सीमा पार अपराधों का शीघ्र पता लगाने और उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को शामिल करते हुए एक बहु-एजेंसी समन्वय ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। समिति इस बात पर भी जोर देती है कि प्रभावी सीमा प्रबंधन को भौतिक सुरक्षा से आगे बढ़कर मानवीय जन-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें सामाजिक-आर्थिक विकास पहल और सीमा पर सामुदायिक सहभागिता को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि स्मगलिंग, अवैध प्रवास और सीमा पार अपराधों के प्रति स्थानीय कमजोरियों को कम किया जा सके। इसके अलावा, समिति चाहती है कि सरकार सीमांत क्षेत्रों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लागू करने पर विचार करे ताकि सीमांत अपराधों को कम करने और सीमांत क्षेत्रों में सामाजिक वातावरण में सुधार करने में मदद मिल सके।

सरकार का उत्तर

भारत और बांग्लादेश विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय और सीमा पार संबंध रखने वाले चरमपंथी समूहों से निपटने के उद्देश्य से, आतंकवाद, मादक पदार्थों और नकली मुद्रा के खिलाफ लड़ाई में घनिष्ठ सहयोग करते हैं। यह सहयोग आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखने और उन्हें रोकने के लिए तथा आतंकवाद और चरमपंथ पर कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी साझा करने के लिए नियमित खुफिया जानकारी साझा करने वाले तंत्रों द्वारा समर्थित है।

2. यह समन्वय स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह (भारत के गृह मंत्रालय के नेतृत्व में), बीएसएफ

और बीजीबी के बीच महानिदेशक स्तरीय वार्ता, नकली मुद्रा पर संयुक्त कार्य बल और अन्य संगत मंच शामिल हैं।

3. संचालनात्मक स्तर पर, बीएसएफ और बीजीबी नियमित रूप से सीमा गतिविधियों की निगरानी के लिए समन्वय करते हैं, ताकि आतंकवादी समूहों की घुसपैठ को रोका जा सके और सीमा का उपयोग हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य अवैध गतिविधियों के लिए न हो सके। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, धन शोधन और संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी और प्रवर्तन संरचना संबंधी सहयोग को भी मजबूत किया है।

4. इसके अलावा, 25-28 अगस्त 2025 को ढाका में आयोजित महानिदेशक स्तरीय वार्ता के दौरान, भारत ने बांग्लादेश के समक्ष सभी प्रमुख चिंताओं को उठाया। दोनों पक्षों ने सीमा की निगरानी करने और भारत-बांग्लादेश सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

5. बीएसएफ अवैध प्रवासन और अन्य सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए अन्य निगरानी उपकरणों के उपयोग के अलावा, भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीआईबीएमएस, ईएसवीपी, एलसीटीएस जैसी स्मार्ट सीमा निगरानी परियोजनाओं के माध्यम से प्रभावी सीमा निगरानी ग्रिड सुनिश्चित करने के उपाय कर रही है।

6. कानून प्रवर्तन और निगरानी के अलावा, भूमि बंदरगाहों की स्थापना सीमावर्ती क्षेत्रों में आजीविका सृजन और आर्थिक गतिविधियों में योगदान देती है, जिससे अवैध सीमा पार गतिविधियों से जुड़ी सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को दूर करने में मदद मिलती है। भूमि बंदरगाह बंदरगाह संचालन और रसद में प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करते हैं, जैसे कि चालक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लियरिंग एजेंट और सेवा कर्मचारी, और पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन और संबद्ध क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करते हैं। इस प्रकार, भू-पत्तन विकास विनियमित अवसंरचना, निगरानी और रोजगार सृजन को मिलाकर कानून प्रवर्तन प्रयासों का पूरक है और व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित है।

[फ़ाइल सं. एए/संसद/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 15

समिति नोट करती है कि बांग्लादेश के घटनाक्रम का भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक सुरक्षा निहितार्थ है। समिति यह भी नोट करती है कि भारत का

सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बार्डर गार्ड ऑफ सीमा पर गतिविधियों पर नजर रखने और आतंकवादी समूहों द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए नियमित रूप से समन्वय करता है। समिति सिफारिश करती है कि भारत को बांग्लादेश में संबंधित अधिकारियों के साथ सम्पर्क जारी रखना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखने और उनका सामना करने के लिए एक समुचित खुफिया साझाकरण तंत्र विकसित करना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के लिए सुरक्षित ठिकाना न बन जाए।

सरकार का उत्तर

भारत और बांग्लादेश, आतंकवाद, मादक पदार्थों और नकली मुद्रा विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय और सीमा पार संबंध रखने वाले चरमपंथी समूहों से निपटने के लिए मिलकर सहयोग करते हैं। इस सहयोग को आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखने और उन्हें रोकने के लिए नियमित खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था तथा आतंकवाद एवं उग्रवाद पर कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी साझा करने का समर्थन प्राप्त है।

2. यह समन्वय स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह (भारत के गृह मंत्रालय के नेतृत्व में), बीएसएफ और बीजीबी के बीच महानिदेशक स्तरीय वार्ता, नकली मुद्रा पर संयुक्त कार्य बल और अन्य संगत मंच शामिल हैं।

3. समिति की सिफारिशों के अनुरूप, घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बीएसएफ नियमित संयुक्त गश्त, वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पर गतिविधियों की निगरानी के माध्यम से बांग्लादेश सीमा रक्षक बल के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए हुए है। दीर्घकालिक सुरक्षा सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्रों के माध्यम से बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ जुड़ाव बनाए रखा गया है। इन उपायों का उद्देश्य परस्पर विश्वास को मजबूत करना, उग्रवादी गतिविधियों को रोकना और एक स्थिर, सुरक्षित और दूरदर्शी भारत-बांग्लादेश संबंधों को बढ़ावा देना है।

[फ़ाइल सं. एए/संसद/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 16

केंद्र और सीमावर्ती राज्यों के बीच समन्वय

समिति मानती है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक विकास भारत-बांग्लादेश सीमा के प्रभावी प्रबंधन से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया है कि बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति का भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसके उत्तर में भारत सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों की राज्य सरकारों, सीमा सुरक्षा एजेंसियों, केंद्रीय जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय में सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपना रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, असम राज्य सरकार द्वारा पुलिस और राज्य एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में दिसंबर, 2024 से अंसारबुल्लाह बांग्लादेश टीम (भारतीय उपमहाद्वीप में अल-काइदा की एक शाखा) से जुड़े 14 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। समिति को यह भी बताया गया है कि हाल के महीनों में सीमा पर कड़ी सुरक्षा के कारण कई बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और 12,300 किलोग्राम मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।

समिति का सुविचारित मत है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ाने से उत्तर पूर्व में आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। समग्र और समन्वित दृष्टिकोण के महत्व पर, समिति ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय और सीमांत राज्यों की सरकारों के बीच घनिष्ठ समन्वय का आग्रह किया है ताकि अवैध प्रवास, तस्करी, नशीली दवाओं का दुर्व्यापार और चरमपंथी समूहों द्वारा घुसपैठ जैसे परस्पर जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके। समिति आगे सिफारिश करती है कि भारत को संभावित शरणार्थियों के प्रवाह और मानवीय चुनौतियों के प्रबंधन पर बांग्लादेश के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए, जिसमें म्यान्मार से आने वाली चुनौतियां भी शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिक्रियाएं भारत के सुरक्षा और मानवीय दायित्वों के अनुरूप रहें।

सरकार का उत्तर

विदेश मंत्रालय, राज्य प्रभाग के माध्यम से, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक और संपर्क विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ समन्वय करता है। ये परियोजनाएं सड़कों, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जल आपूर्ति, बिजली, पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिविटी आदि

सहित विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत चलाई जाती हैं, जिनमें शामिल हैं: (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल ; (ii) पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना - सड़क; (iii) पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना - सड़कों के अलावा अवसंरचन; (iv) पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं; और (v) विशेष विकास पैकेज।

2. सशक्त अंतर-मंत्रालयी समिति (ईआईएमसी) एक समन्वय तंत्र है जिसकी अध्यक्षता मंत्रालय के विकास मंत्रालय (एमओडीओएन) के सचिव करते हैं। इसका कार्य इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन, प्रगति निगरानी और मूल्यांकन की देखरेख करना है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ईआईएमसी के सदस्य हैं।

3. एमओडीओएनईआर ने बांग्लादेश और म्यांमार से संबंधित सीमा पार मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के मुख्य सचिवों/संबंधित सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें भी की हैं।

4. भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों पर मिलकर काम कर रही हैं। इस सहयोग में क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से संबंधित खुफिया जानकारी साझा करना भी शामिल है। 2017 में म्यांमार के रखाइन राज्य से बांग्लादेश में आए शरणार्थियों के आगमन के दौरान, भारत सरकार ने ऑपरेशन इंसानियत के तहत भोजन, दवाइयां और आवश्यक सामग्री सहित मानवीय सहायता प्रदान की थी।

[[फ़ाइल सं. एए/संसद/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]]

सिफारिश सं. 17

केंद्र-राज्य समन्वय

समिति नोट करती है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे पांच भारतीय राज्य- पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम अपनी भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक संबंधों और सीमा पार सामाजिक-आर्थिक परस्पर निर्भरता के कारण बांग्लादेश के प्रति भारत के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि विदेश नीति निर्माण केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, समिति इस बात पर जोर देती है कि द्विपक्षीय संबंधों और सीमा प्रबंधन को प्रभावित करने वाले मामलों पर राज्य सरकारों से नियमित रूप से परामर्श किया जाना चाहिए। समिति उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी), नीति आयोग के मुख्यमंत्री उप-समूह (एसएसएम) और विदेश मंत्रालय के राज्य विभाग जैसे समन्वय तंत्रों के

अस्तित्व को नोट करती है। समिति चाहती है कि उपरोक्त तंत्र अधिक सक्रिय रूप से कार्य करे।

समिति का सुझाव है कि मौजूदा संरचित अंतर-सरकारी संवाद तंत्र और विदेश मंत्रालय के राज्य प्रभाग को विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच एक सक्रिय इंटरफेस के रूप में पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, जिससे बांग्लादेश से संबंधित मामलों पर नियमित परामर्श किया जा सके।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है। राज्य प्रभाग, पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित मामलों पर समन्वय के लिए मंत्रालय के भीतर नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ इसका जुड़ाव और प्रमुख अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी परियोजनाओं की देखरेख करने वाली अधिकार प्राप्त अंतर-मंत्रालयी समिति में इसकी भागीदारी शामिल है।

2. क्षेत्र से प्राप्त बाह्य सहायता परियोजनाओं और अन्य प्रस्तावों की जांच करते समय, यह विभाग सुनिश्चित करता है कि द्विपक्षीय संबंधों या सीमा प्रबंधन पर संभावित प्रभाव डालने वाले मुद्दों पर संबंधित क्षेत्रीय विभाग के साथ परामर्श किया जाए। बांग्लादेश से संबंधित मामलों में एक सुसंगत और सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय इस प्रकार के समन्वय को सुदृढ़ करना जारी रखेगा।

[[फ़ाइल सं. एए/संसद/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]]

सिफारिश सं. 18

<u>अवैध प्रवास से निपटना</u>

समिति नोट करती है कि बांग्लादेश से अवैध प्रवास विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती राज्यों में गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। समिति इस बात से अवगत है कि अवैध बांग्लादेशियों का पता लगाना, उनकी पहचान करना और उन्हें वापस भेजना गृह मंत्रालय और विदेशी अधिनियम, 1946 (अब अप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025) के तहत संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आता है, परंतु विदेश मंत्रालय भारत में विरुद्ध किए गए बांग्लादेशियों की राष्ट्रीयता सत्यापन और प्रत्यावर्तन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समिति नोट करती है कि संदिग्ध बांग्लादेशियों के कुल 2,369 मामले वर्तमान में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीयता सत्यापन की प्रतीक्षा में हैं।

समिति सिफारिश करती है कि राष्ट्रीयता सत्यापन और प्रत्यावर्तन की प्रगति की निगरानी के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक समर्पित द्विपक्षीय तंत्र या संयुक्त कार्य समूह स्थापित किया जाए। समिति को आशा है कि इससे सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी। समिति यह भी आग्रह करती है कि अवैध प्रवास को रोकने के लिए मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षोपायों को बनाए रखते हुए भारत के संविधानिक सुरक्षोपायों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार सभी विरुद्ध व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार और उचित कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। समिति नोट करती है कि यह सुनिश्चित करने हेतु निरंतर सतर्कता आवश्यक है ताकि भारतीय नागरिक गलती से बांग्लादेश में निर्वासित न किए जा सके।

सरकार का उत्तर

विदेशी नागरिकों के तय समय से अधिक समय तक रहने और अवैध प्रवास से संबंधित मामलों के कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को अवैध अप्रवासियों और अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें निर्वासित करने के संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने के सभी मामले इन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार चलाए जाते हैं।

2. भारत में बांग्लादेश के दूतावासों और दूतावासों के पास लंबित राष्ट्रीयता सत्यापन आवेदनों का मुद्दा प्रासंगिक द्विपक्षीय तंत्रों के भीतर और बांग्लादेश के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान उठाया जाता है।

[फ़ाइल सं. एए/संसद/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 19

<u>समग्र द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना</u>

समिति नोट करती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत और बहुआयामी आर्थिक और व्यापारिक संबंध हैं, जिनमें पिछले दशक में पर्याप्त विस्तार हुआ है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जबकि भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा

व्यापारिक साझेदार है। समिति ने पाया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2014-15 में 7.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 13.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जिसमें भारत 11.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर और बांग्लादेश 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात करता है। इसके परिणामस्वरूप, भारत के लिए व्यापार अधिशेष उत्पन्न होता है। हालाँकि, भारत से बांग्लादेश के अधिकांश आयात में संघटक और अंतरिम वस्तुएँ शामिल हैं जो बांग्लादेश की निर्यात आय में योगदान करती हैं और साथ ही आवश्यक वस्तुएँ भी शामिल हैं जो बांग्लादेश को मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने में मदद करती हैं।

समिति का मानना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, जो जुलाई 2023 से भारतीय मुद्रा में अंकित है, एक ऐसा पहलू है जो व्यापार, संपर्क, ऊर्जा सहयोग आदि जैसे पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में बढ़ता रह सकता है। सीमा पार बिजली पारेषण के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच एकतरफा शक्ति-साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर उप-क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कि राष्ट्रों के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता और आपसी विश्वास का प्रतीक है। साथ ही, समिति का मानना है कि द्विपक्षीय व्यापार के सकारात्मक आवागमन के बावजूद, कई संरचनात्मक बाधाएं दोनों देशों के बीच व्यापार क्षमता की पूर्ण प्राप्ति को बाधित करती हैं। इनमें अवसंरचनागत अड़चनें, बांग्लादेश सरकार द्वारा बंदरगाह प्रतिबंधों और आयात शुल्कों जैसे शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को लागू करना, भूमि बंदरगाहों पर भीड़भाड़, सड़क परिवहन पर उच्च निर्भरता और प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के लिए अपर्याप्त अंतिम मील संपर्क शामिल हैं। समिति यह भी नोट करती है कि भंडारण सुविधाओं, संगरोध व्यवस्था और डिजिटल व्यापार अवसंरचना में कमियां समग्र लेनदेन लागत में वृद्धि करती हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती हैं।

समिति सिफारिश करती है कि भारत सरकार को एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) के विस्तार, सड़क, रेल और अंतर्देशीय जल मार्ग संपर्क में सुधार, आधुनिक संभार तंत्र और भंडारण सुविधाओं की स्थापना, अधिक मालगाड़ियों के संचालन आदि के माध्यम से प्रमुख सीमा व्यापार बिंदुओं पर बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ जुड़ाव तेज करना चाहिए। समिति आगे सिफारिश करती है कि डिजिटल व्यापार सुविधा पर

अधिक जोर दिया जाना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम, ऑनलाइन सीमा शुल्क मंजूरी और सरलीकृत व्यापार दस्तावेज शामिल हैं।

सरकार का उत्तर

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने सीमावर्ती अवसंरचना के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, लगभग 30% द्विपक्षीय व्यापार सीमावर्ती बंदरगाहों के माध्यम से सुगम बनाया गया। वर्तमान में, भारत-बांग्लादेश सीमा पर आठ बंदरगाह कार्यरत हैं, और नेटवर्क के चरणबद्ध विस्तार की योजना है। इन स्थानों पर अवसंरचना के उन्नयन में कार्गो यार्ड, पार्किंग सुविधाएं, गोदाम अवसंरचना का विकास और सीमा एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए एक एकल संस्थागत मंच शामिल हैं, जिससे भीड़भाड़ और लेनदेन लागत में कमी आई है। प्रक्रिया दक्षता बढ़ाने के लिए, बंदरगाह स्तर के संचालन को डिजिटाइज करने, मैनुअल दस्तावेज़ीकरण को कम करने और कार्गो आवागमन की संपूर्ण दृश्यता प्रदान करने के लिए लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। आइसगेट के साथ एकीकरण ने ऑनलाइन सीमा शुल्क निकासी को सक्षम बनाया है।

2. बहुविध कनेक्टिविटी के महत्व को पहचानते हुए, परिवहन चैनलों में विविधता लाने और सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में कई सीमा पार रेल लिंक चालू हैं, जिससे माल ढुलाई दक्षता बढ़ रही है। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, भारत सरकार की ऋण लाइनों के तहत दो रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं, ढाका-टोंगी-जॉयदेबपुर रेलवे लाइन परियोजना और कुलाउरा-शाहबाजपुर रेलवे लाइन परियोजना का पुनर्वास कार्यान्वित किया जा रहा है।

3. बांग्लादेश में आशुगंज-सरायले-धारखर 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और बरियारहाट-हेयांको-रामगढ़ सड़क चौड़ीकरण परियोजना सहित लाइन ऑफ क्रेडिट परियोजनाओं के माध्यम से सड़क संपर्क को भी मजबूत किया जा रहा है, जिनसे सीमा पार व्यापार प्रवाह को सुगम बनाने की उम्मीद है।

4. अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में, भारत अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल के तहत बांग्लादेश के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि कुशियारा नदी के आशुगंज-जाकीगंज और जमुना नदी के सिराजगंज-दैखोवा के चिन्हित खंडों में जलमार्गों का विकास किया जा सके, जिससे पूरे वर्ष नौगम्यता सुनिश्चित हो सके, जिससे संभार तंत्रीय लागत कम हो और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ संपर्क में सुधार हो सके।

5. इसके अतिरिक्त, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं से संबंधित मुद्दों को बांग्लादेश पक्ष के साथ उचित स्तर पर स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से संबोधित किया जाता है।

6. सरकार सीमावर्ती रूपरेखा के आधुनिकीकरण, बहुआयामी कनेक्टिविटी को बढ़ाने, डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने और पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[फाइल क्रमांक ए ए /संसद /125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 20

चीनी सामानों को भारत में पाटना

समिति ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (एसएएफटीए) के तहत बांग्लादेश को उपलब्ध अधिमान्य बाजार पहुंच प्रावधानों की आड़ में चीनी सामान, विशेष रूप से कपड़ों को बांग्लादेश के माध्यम से भारत में पाटने के कथित मुद्दे पर चिंता व्यक्त करती है। समिति का विचार है कि इस तरह की प्रथाएं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को विकृत करती हैं, भारत के विनिर्माण क्षेत्र को कमजोर करती हैं और घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक विषमताएं पैदा करती हैं। समिति क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में बांग्लादेश के संभावित प्रवेश के संबंध में आशंकाओं को भी नोट करती है जिसका अर्थ होगा बांग्लादेश और चीन के बीच मुक्त व्यापार। समिति सरकार के इस आकलन से सहमत है कि इस तरह के विकास से अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसशिपमेंट या मूल्य संवर्धन खामियों के माध्यम से भारतीय बाजार में चीनी सामानों के अधिमान्य प्रवेश की सुविधा मिल सकती है, जिससे भारत के व्यापार हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

समिति सिफारिश करती है कि भारत सरकार द्विपक्षीय व्यापार ढांचे की एकनिष्ठता पर इस तरह की कार्रवाई के निहितार्थों को रेखांकित करते हुए उच्चतम वाणिज्यिक और व्यापार नीति स्तरों पर बांग्लादेश को अपनी आपत्ति से अवगत कराए। समिति आगे सिफारिश करती है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय में, मूल सत्यापन तंत्र के कड़े नियम अपनाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसएएफटीए या किसी भी भविष्य

में सीईपीए के तहत वरीयता व्यापार पहुंच का तीसरे देश के निर्यातकों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए।

सरकार का उत्तर

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (एसएएफटीए) के अंतर्गत व्यापार, अधिमान्य पहुंच प्राप्त करने के लिए मूल्यवर्धन और उत्पत्ति मानदंडों को निर्धारित करने वाले उत्पत्ति नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति प्रमाण पत्र (ईसीओओ) सत्यापन तंत्र शुरू किया है, जो भारत में अधिकृत एजेंसियों द्वारा जारी उत्पत्ति प्रमाण पत्रों के वास्तविक समय प्रमाणीकरण को सक्षम बनाता है।

सीमा शुल्क संयुक्त समूह (जेजीसी) की बैठकों में एसएएफटीए प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने का मुद्दा भी उठाया गया है। सरकार ने बांग्लादेश से मूल प्रमाण पत्रों के वास्तविक समय प्रमाणीकरण को सक्षम बनाने और तीसरे देशों से माल की तस्करी के जोखिम को कम करने के लिए एक ऑनलाइन सत्यापन सुविधा स्थापित करने का अनुरोध किया है।

सरकार ने समिति की उस सिफारिश पर ध्यान दिया है जिसमें मूल नियमों के सत्यापन के लिए सख्त तंत्र अपनाने की बात कही गई है ताकि भविष्य में किसी भी सीईपीए के तहत तरजीही व्यापार पहुंच का दुरुपयोग तीसरे देशों के निर्यातकों द्वारा न किया जा सके।

[फाइल क्रमांक एए/संसद /125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 22

<u>विकास साझेदारी</u>

समिति नोट करती है कि अवसंरचना के विकास और संपर्क सहयोग भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला के रूप में उभरा है, जिसमें न केवल रेल, सड़क और जलमार्ग के माध्यम से भौतिक संपर्क शामिल है, बल्कि ऊर्जा और डिजिटल संपर्क भी शामिल हैं। भारत ने अवसंरचना, ऊर्जा और सामुदायिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान के रूप में बांग्लादेश को लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकासात्मक सहायता प्रदान की है। समिति ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, खुलना-मोंगला, अगरतला-अखौरा रेल लाइनें, भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और फेनी पर मैत्री पुल के

पूरा होने जैसी पहलों के माध्यम से हासिल की गई ठोस प्रगति को स्वीकार करते हुए चिंता व्यक्त की कि कुछ परियोजनाओं को निविदा बाधाओं, प्रक्रियात्मक बाधाओं और परियोजना क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी बाधाओं के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है।

समिति आगे पाती है कि इन संपर्क पहलों से आपसी लाभ हुआ है, व्यापार विस्तार में सुविधा हुई है, क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंच में सुधार हुआ है, लोगों के बीच संपर्क मजबूत हुआ है और व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक एकीकरण में योगदान हुआ है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता है कि हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रियायती वित्त परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए ढाका का दौरा किया, जिससे इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पारस्परिक रूप से सम्मत रूपरेखा का विकास हुआ। चालू परियोजनाओं में ढाका-टोंगी जॉयडेपुर रेलवे लाइन, कुलाउरु शबाजपुर रेलवे लाइन, रामगढ़ से बरैयारहाट रोड को चौड़ा करना, रूपपुर परमाणु संयंत्र में निकासी लाइनें आदि शामिल हैं। विभिन्न इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) परियोजनाओं के लिए भी निविदा जारी की जा रही है, जैसे कि खुलना-दर्शना रेलवे लाइन, पार्बतीपुर कौनिया रेलवे लाइन, बोगरा से शहीद एम. मुसुर अली स्टेशन रेलवे लाइन, आशुगंग अंतर्देशीय कंटेनर नदी पत्तन परियोजना, मोंगला पत्तन परियोजना का उन्नयन आदि।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि बांग्लादेश को भारत सरकार से बड़ी विकासात्मक सहायता मिली है, समिति मंत्रालय के इस विचार से सहमत है कि बेहतर संपर्क से व्यापार बढ़ा, क्षेत्रीय एकीकरण और पूर्वोत्तर राज्यों तक बेहतर पहुंच जैसे आपसी लाभ होते हैं। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय को बांग्लादेश में चल रही प्रमुख परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

बांग्लादेश के साथ भारत का विकास सहयोग, जो ऋण सहायता (एलओसी) और अनुदान सहायता के माध्यम से दिया जाता है, द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। इस रूपरेखा के तहत शुरू की गई कई प्रमुख संबंध और ऊर्जा परियोजनाओं ने व्यापार सुगमता, क्षेत्रीय एकीकरण और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ संपर्क को मजबूत किया है।

भारत सरकार/एलओसी परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित परियोजना निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। इसमें द्विपक्षीय

एलओसी परियोजना समीक्षा बैठकें, परियोजना निगरानी समिति की बैठकें, तकनीकी समिति की बैठकें, परियोजना संचालन समिति की बैठकें और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक आभासी समीक्षा बैठकें शामिल हैं। ये तंत्र सभी हितधारकों के साथ नियमित संपर्क को सुगम बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर प्रगति का आकलन करने और क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग, भारत एक्जिम बैंक, संबंधित परियोजना अधिकारियों और बांग्लादेश सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक संबंध प्रभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर संयुक्त स्थल निरीक्षण किए जाते हैं। सरकार संबंध को मजबूत करने, व्यापार का विस्तार करने और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को समर्थन देने के उद्देश्य से बांग्लादेश सरकार के परामर्श से विकास साझेदारी परियोजनाओं के समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

[फाइल क्रमांक ए ए /संसद /125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 23

समिति को बताया गया है कि मंत्रालय बांग्लादेश सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं की आंतरिक समीक्षा कर रहा है। समिति नोट करती है कि ऐसे उदाहरण हैं जहां ऋण स्वीकृति के बावजूद परियोजनाएं शुरू नहीं हुई हैं। समिति यह भी नोट करती है कि विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने विकासात्मक साझेदारी परियोजनाओं पर चल रहे सहयोग को जारी रखने की इच्छा व्यक्त की।

इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विदेश मंत्रालय को उच्च प्रभाव वाली, व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें समय पर पूरा करने को प्राथमिकता देने के लिए मौजूदा लाइन ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और उसे तर्कसंगत बनाना चाहिए। समिति चाहती है कि उसे तीन महीने में इस समीक्षा कार्य के परिणाम से अवगत कराया जाए। इसके अतिरिक्त, समिति का सुझाव है कि सरकार को रणनीतिक संचार और आउटरीच प्रयासों के माध्यम से सफल विकास साझेदारी पहलों को सक्रिय रूप से प्रचारित करना चाहिए, जिससे एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में भारत की छवि बढ़े और बांग्लादेश के लोगों के बीच अपनी सॉफ्ट पावर को मजबूत किया जा सके।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार द्वारा समर्थित एलओसी परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई।स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से किया गया। 5-6 मार्च 2025 को ढाका में 23 वीं द्विपक्षीय एलओसी समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें एलओसी पर चल रही सभी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बांग्लादेश के साथ उन चुनौतियों पर चर्चा की गई, जिन्होंने परियोजना कार्यान्वयन को प्रभावित किया है, जिनमें भारतीय कर्मियों और संपत्तियों की सुरक्षा, परियोजना की तैयारियों का अभाव और बार-बार कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आदि शामिल हैं। आपसी परामर्श के बाद, दोनों पक्ष पूर्व-कार्यान्वयन चरण में मौजूद बारह परियोजनाओं को सूची से हटाने पर सहमत हुए। परियोजना की व्यवहार्यता और जमीनी स्तर पर हुई प्रगति के आधार पर, एलओसी पर चल रही आठ परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर और समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए चुना गया है।

2. बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाओं के प्रति समग्र धारणा सकारात्मक बनी हुई है, क्योंकि इन परियोजनाओं से बांग्लादेश के लोगों को ठोस लाभ प्राप्त हो रहे हैं। बांग्लादेश में भारतीय मिशन और केंद्र समन्वित संपर्क, मीडिया सहभागिता और सार्वजनिक कूटनीति के माध्यम से सफल विकास साझेदारी पहलों की दृश्यता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सरकार नियंत्रण रेखा के संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने, उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और बांग्लादेश के साथ विकास साझेदारी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[फाइल क्रमांक एए/संसद /125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 24

बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौता

समिति नोट करती है कि 2015 में हस्ताक्षरित बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौता, एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उप-क्षेत्रीय पहल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सीमाओं के पार वस्तुओं, लोगों और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है, जिससे दक्षिण एशिया में गहरे आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिल सके। हालाँकि, समिति इस बात से चिंतित है कि यात्री और मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने में देरी के कारण समझौते के कार्यान्वयन में

बाधा आई है। समिति नोट करती है कि बीबीआईएन एमवीए वर्तमान में अंतिम रूप ले रहा है और इसके भाग लेने वाले देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है। इस समय बांग्लादेश से नेपाल और भूटान और इसके विपरीत जाने वाले को निर्दिष्ट भूमि बंदरगाहों पर ट्रांसशिपमेंट से गुजरना पड़ता है। एक बार बीबीआईएन के चालू हो जाने के बाद, यह इस क्षेत्र में वाहनों की निर्बाध आवाजाही की अनुमति देगा जो व्यापार प्रवाह को बढ़ाने में योगदान देगा।

इसलिए समिति ने सिफारिश करती है कि भारत सरकार को बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सरकारों के साथ अपने राजनयिक और तकनीकी जुड़ाव को तेज करना चाहिए ताकि लंबित प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने और अपनाने में तेजी लाई जा सके। समिति यह भी चाहती है कि भारत नेतृत्व करे और परिचालन तैयारी सुनिश्चित करने के लिए परिवहन, सीमा शुल्क और नियामक ढांचे में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भागीदार देशों को क्षमता निर्माण सहायता और तकनीकी सहायता देने पर विचार करे।

सरकार का उत्तर

बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन करार (एमवीए) यात्री, निजी और मालवाहक वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने और विनियमित करने के लिए 15 जून 2015 को भूटान के थिम्फू में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। बांग्लादेश, भारत और नेपाल ने करार की पुष्टि कर दी है, जबकि भूटान की पुष्टि अभी बाकी है। भूटान ने शेष तीन देशों को इसके कार्यान्वयन के लिए अपनी सहमति दे दी है।

भारत और बांग्लादेश ने तीन देशों के बीच (बीआईएन) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, जिससे मालवाहक वाहन परिवहन (एमवीए) को लागू किया जा सके और नेपाल की सहमति का इंतजार है। चूंकि बीबीआईएन एमवीए एक ढांचागत करार है, इसलिए इसमें शामिल देशों द्वारा यात्री और मालवाहक वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने वाले विस्तृत प्रोटोकॉल संयुक्त रूप से विकसित किए जा रहे हैं।

बीबीआईएन एमवीए के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नवीनतम बैठक 5-6 मार्च 2024 को ढाका में आयोजित की गई थी। मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए मसौदा प्रोटोकॉल, परीक्षण संचालन के तौर-तरीकों पर चर्चा हुई और सदस्यों ने यात्री वाहनों की आवाजाही के लिए मसौदा प्रोटोकॉल को मंजूरी दी। भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच मालवाहक वाहनों के परीक्षण संचालन किए जा चुके हैं। संचालन

को सुगम बनाने के लिए कनेक्टिविटी अवसंरचना और एकीकृत चेक पोस्टों के उन्नयन में भी प्रगति हुई है।

भारत इस करार को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए राजनयिक और तकनीकी स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार सदस्य देशों के साथ संस्थागत समन्वय और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से बीबीआईएन रूपरेखा का समर्थन करती है। क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के विस्तार संबंधी समिति की सिफारिश पर ध्यान दिया गया है।

[फाइल क्रमांक ए ए /संसद /125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 25

सांस्कृतिक संबंध और साझा सभ्यता विरासत

समिति नोट करती है कि भारत और बांग्लादेश सदियों के साझा इतिहास, साहित्य और कलात्मक अभिव्यक्ति में निहित समृद्ध सभ्यता, भाषाई और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। यह साझा विरासत, जो रवींद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जैसी हस्तियों के माध्यम से परिलक्षित होती है, लोगों के बीच संबंधों और आम त्योहारों, संगीत और सिनेमा के माध्यम से दोनों देशों के बीच सद्भावना और समझ के सेतु के रूप में काम करती है। समिति का मानना है कि संयुक्त सांस्कृतिक उत्सवों, साहित्यिक सहयोग और युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों जैसी पहलों ने आपसी सहानुभूति को मजबूत करने तथा 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना को संरक्षित करने और द्विपक्षीय संबंधों की नैतिक और भावनात्मक नींव में योगदान दिया है। हालाँकि, समिति इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों ने दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास और सद्भावना के माहौल को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है। समिति का विचार है कि सांस्कृतिक कूटनीति और लोगों से लोगों की पहल इस महत्वपूर्ण मोड़ पर विश्वास के पुनर्निर्माण और आपसी समझ को गहरा करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य कर सकती है।

इसलिए समिति सिफारिश करती है कि भारत सरकार को दोनों देशों के सांस्कृतिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सिविल सोसाइटी संगठनों के सहयोग से टैगोर-नजरुल साहित्यिक समारोहों, संयुक्त फिल्म पुनर्प्रदर्शन और अंतरदेशीय

कला निवासों सहित वार्षिक संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संस्थागत बनाने के प्रयासों को तेज करना चाहिए। समिति आगे सिफारिश करती है कि भारत सरकार को असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि उप-राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके और लोगों से लोगों के बीच गहरी भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनकी साझा भाषाई और ऐतिहासिक विरासत का लाभ उठाया जा सके। समिति का विचार है कि सीमावर्ती राज्य, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में भारत के रणनीतिक लक्ष्यों विशेष रूप से गहरे सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों पर विचार करते हुए लोगों से लोगों के बीच संपर्क और व्यापार सुविधा को आगे बढ़ाने में सहायक भूमिका निभा सकते हैं।

सरकार का उत्तर

भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे सभ्यतागत, भाषाई और सांस्कृतिक संबंध हैं जो द्विपक्षीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण नींव बने हुए हैं। सरकार ने भारतीय उच्चायोग और इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (आईजीसीसी), ढाका के समन्वय से बांग्लादेश में सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

2. हाल की पहलों में भारत के प्रमुख उत्सवों में बांग्लादेशी सांस्कृतिक मंडलों की भागीदारी, विनिमय कार्यक्रमों के तहत बांग्लादेशी कलाकारों और लेखकों की मेजबानी और सीमा पार सांस्कृतिक प्रदर्शनों को सुगम बनाना शामिल है। ढाका विश्वविद्यालय में 2027 तक वैध पांच वर्षीय समझौता ज्ञापन के तहत एक हिंदी विभाग भी स्थापित किया गया है। आईजीसीसी, ढाका नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिनमें टैगोर और नजरुल की जयंती, लालोन संध्या, मैत्री दिवस, फिल्म स्क्रीनिंग, प्रदर्शनियां और पोहेला बोइशाख, दुर्गा पूजा और बुद्ध पूर्णिमा जैसे साझा त्योहारों का उत्सव शामिल है।

3. बांग्लादेशी विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग जारी है। भारत के उत्तर-पूर्वी और सीमावर्ती राज्यों की साझा परंपराओं को दर्शाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से उप-राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत, प्रदर्शनियों, कला प्रदर्शन और शैक्षणिक सहयोग सहित व्यापक सहयोग के प्रस्तावों पर संबंधित संस्थानों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

4. सरकार बांग्लादेश के साथ सांस्कृतिक कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य आपसी विश्वास के पुनर्निर्माण, पारस्परिक समझ को बढ़ाने और

द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करने वाले ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है।

[फाइल क्रमांक ए ए /संसद /125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 27

<u>आईटीईसी और आईसीसीआर के तहत मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण</u>

समिति नोट करती है कि मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण पहल, विशेष रूप से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम और आईसीसीआर छात्रवृत्ति के माध्यम से बांग्लादेश के साथ भारत के विकास सहयोग प्रयासों का एक प्रमुख घटक है। समिति का मानना है कि पिछले दशक में 3,000 से अधिक बांग्लादेशी छात्रों को आईसीसीआर छात्रवृत्ति दी गई है और शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 500 छात्रवृत्ति प्रक्रियाधीन हैं। समिति को बताया गया है कि ये छात्रवृत्ति लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने और बांग्लादेशी छात्रों को भारत को बेहतर ढंग से जानने और समझने के अवसर प्रदान करने में उपयोगी रही हैं। समिति यह भी नोट करती है कि भारत में विभिन्न प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में नागरिक सेवाओं, पुलिस, न्यायपालिका आदि के बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि मार्च 2021 में, भारत ने बांग्लादेशी छात्रों के लिए 1000 'सुबर्ण जयंती छात्रवृत्ति' की घोषणा की थी। अब तक, 2022-2024 के बीच बांग्लादेशी छात्रों को 900 से अधिक छात्रवृत्ति दी जा चुकी हैं। इसके अलावा, मुक्तिजोधा छात्रवृत्ति योजना के तहत, बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 24,018 छात्रवृत्ति दी गई हैं।

समिति यह जानकर प्रसन्न है कि आईसीसीआर छात्रवृत्ति और आईटीईसी पाठ्यक्रमों जैसी प्रमुख पहल बांग्लादेशी छात्रों और पेशेवरों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। समिति चाहती है कि अधिक से अधिक बांग्लादेशी युवाओं, छात्रों और पेशेवरों को आईसीसीआर और आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत अवसर प्रदान किए जाएं। इसलिए, समिति भारत सरकार से बांग्लादेश के लिए आईटीईसी और आईसीसीआर छात्रवृत्ति की संख्या और विविधता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का आग्रह करती है, जिसमें विशेष रूप से डिजिटल नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि जैसे उभरते क्षेत्रों पर

ध्यान केंद्रित किया जाए। समिति यह भी सुझाव देती है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कार्यक्रम उभरती जरूरतों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के प्रति उत्तरदायी रहें। समिति आगे चाहती है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मुक्तिजोधा छात्रवृत्ति योजना के तहत अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। समिति चाहती है कि बांग्लादेशी पेशेवरों, शोधकर्ताओं और युवाओं की बढ़ती संख्या को विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट, कौशल उन्मुख और अन्य प्रशिक्षण मॉड्यूल से लाभ मिलना चाहिए।

सरकार का उत्तर

बांग्लादेश भारत के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का सबसे बड़ा लाभार्थी बना हुआ है। आईटीईसी संरचना के तहत, शासन, लोक प्रशासन, पुलिस और न्यायिक प्रशिक्षण के पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ डिजिटल नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, 65 अधिकारियों ने भारत में आईटीईसी पाठ्यक्रमों में भाग लिया, और वित्त वर्ष 2025-26 (आज तक) में, 25 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण लिया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) जैसे संस्थानों के माध्यम से आयोजित पाठ्यक्रमों सहित अनुकूलित कार्यक्रम, बांग्लादेश सरकार द्वारा व्यक्त की गई क्षेत्रीय अपेक्षाओं के जवाब में तैयार किए जा रहे हैं।

आईसीसीआर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में बांग्लादेशी छात्रों की मजबूत भागीदारी जारी है। वित्त वर्ष 2025-26 में, आईसीसीआर ने सुबर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना के तहत 497 छात्रवृत्तियां, लता मंगेशकर नृत्य और संगीत छात्रवृत्ति योजना के तहत 46 और आयुष छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। जनवरी 2025 से भारतीय संस्थानों में स्व-वित्तपोषित प्रवेश के तहत 2,161 से अधिक बांग्लादेशी छात्रों को वीजा भी दिया गया है। एसटीईएम विषयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सुबर्ण जयंती छात्रवृत्ति की वर्तमान आपूर्ति पर फिर से विचार करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

मुक्तिजोध्दाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत, बांग्लादेश में उच्च माध्यमिक और स्नातक अध्ययन करने के लिए मुक्तिजोध्दाओं के बच्चों को प्रति वर्ष 2000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अब तक इस योजना के तहत 24,018 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। योजना के प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से मुक्तिजोध्दा छात्रवृत्ति' योजना की समीक्षा की जा रही है। मुक्तिजोध्दा चिकित्सा योजना के तहत, 2019 से मुक्तिजोध्दाओं को भारत में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

बांग्लादेश हेतु छात्रवृत्ति की संख्या और विविधता को बढ़ाने के लिए समिति के प्रस्ताव को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

[फाइल सं. एए/पार्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 29

वीजा सुविधा और राजनयिक सहयोग

समिति मानती है कि वीजा और राजनयिक सुविधा भारत-बांग्लादेश संबंधों का सबसे अधिक दृश्यमान और जन-केंद्रित आयाम है, जो पर्यटकों, रोगियों, छात्रों और व्यवसायियों की आवाजाही को सीधे प्रभावित करता है। 2023 में, भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों को 16 लाख से अधिक वीजा जारी किए, जिससे यह विदेशों में भारत के सबसे बड़े वीजा संचालन में से एक बन गया। हालांकि, 5 अगस्त, 2024 की घटनाओं के बाद, वीजा सेवाओं को काफी कम कर दिया गया था, और दूतावास कर्मियों को बांग्लादेश से वापस बुला लिया गया था। समिति का मानना है कि अगस्त 2024 के बाद सुरक्षा स्थिति के परिणामस्वरूप अस्थायी व्यवधानों के बावजूद आवश्यक वीजा श्रेणियां काम करती रही हैं। बांग्लादेश भारत के प्रमुख वीजा संचालन में से एक बना हुआ है, जो प्रतिदिन लगभग 1,500 वीजा का संबंधी कार्य करता है, जिसमें चिकित्सा वीजा कुल का लगभग 80 प्रतिशत है।

समिति बांग्लादेशी लोगों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को रेखांकित करते हुए चिकित्सा वीजा को प्राथमिकता देने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता की सराहना करती है। हालांकि, समिति चिंता व्यक्त करती है कि वीजा संबंधी कार्यों में कमी और सुरक्षा से संबंधित व्यवधान सार्वजनिक धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। और इससे लोगों के बीच संपर्क बाधित हो सकता हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

आपसी सद्भाव और विश्वास बनाए रखने के लिए निरंतर अंतर-व्यक्तिगत संपर्क के महत्व को स्वीकार करते हुए, समिति आग्रह करती है कि विदेश मंत्रालय, संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करके स्थिति को अनुकूल होने पर बांग्लादेश में वीजा संचालन को उत्तरोत्तर सामान्य करे। समिति ने मंत्रालय से वीजा नीति तथा समस्याओं का समाधान और आवश्यक सुरक्षोपायो को बरकरार रखते हुए वैध यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देना

सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय राजनयिक सहयोग तंत्र बनाने का आग्रह करती है।

सरकार का उत्तर

बांग्लादेश उन देशों में से एक है जिनके नागरिक निःशुल्क आधार पर वीजा के लिए पात्र हैं। अगस्त 2024 की घटनाओं के बाद जारी वीजा की संख्या में कमी के बावजूद यह भारत के सबसे बड़े वीजा संचालनों में से एक बना हुआ है।

2. बांग्लादेश में पांच केंद्रों पर प्रतिदिन लगभग 1,500 वीजा जारी किए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 80% वीजा मेडिकल वीजा हैं। बदलते हालात में सुरक्षा स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और वीजा के दैनिक निर्गमन को बढ़ाने या अतिरिक्त वीजा केंद्रों को चालू करने के संबंध में कोई भी निर्णय भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के समन्वय में लिया जाएगा।

वीज़ा नीतियों पर चर्चा और समीक्षा के लिए द्विपक्षीय कोंसली संवाद के माध्यम से एक संरचित तंत्र मौजूद है। भारत में संबंधित मंत्रालयों और बांग्लादेश के प्राधिकारियों के साथ समन्वय में इस संवाद की अगली बैठक की जाएगी।

बांग्लादेश स्थित हमारे मिशन और केंद्र मौजूदा वीजा दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और आवेदकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं।

[फाइल सं. एए/पार्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 30

जल सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना

समिति का मानना है कि जल बंटवारा भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। भारत और बांग्लादेश 54 सीमा-पार नदियों को साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच गंगा नदी के संबंध में गंगा जल संधि नमक जल बंटवारा संधि भी हुई है इसके अतिरिक्त फेनी और कुशियारा नदियों से पानी लेने के लिए भी समझौता ज्ञापन हुआ है। 1972 में स्थापित भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी), बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, चक्रवात चेतावनी और बाढ़ पूर्वानुमान सहित साझा जल संसाधनों पर सहयोग के

लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। समिति यह भी नोट करती है कि जेआरसी की एक बैठक मार्च 2025 में कोलकाता में आयोजित की गई थी। जेआरसी की तकनीकी स्तर की बैठक (टीएलएम) दोनों पक्षों के विशेषज्ञों को विस्तृत और मुद्दे-विशिष्ट चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है।

मंत्रालय ने समिति को आगे बताया कि तीस्ता, मनु, खोवाई और धारला नदियों पर और अधिक जल बंटवारा संधियों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों के बीच चर्चा चल रही है। जबकि जेआरसी और गंगा जल संधि द्विपक्षीय जल सहयोग की आधारशिला बनी हुई है, समिति ने पाया कि अन्य प्रमुख साझा नदियों, विशेष रूप से तीस्ता पर समझौतों के अभाव के कारण लगातार चुनौतियाँ बनी हुई है।

समिति का मानना है कि दोनों देशों के बीच समग्र नदी जल सहयोग ढांचे को उचित महत्व और संस्थागत नियमितता दी जानी चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार के साथ समन्वय में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीकी और मंत्रिस्तरीय दोनों स्तरों पर संयुक्त नदी आयोग की बैठकें नियमित और समयबद्ध आधार पर आयोजित की जाएं। समिति विशेषज्ञ की राय से भी सहमत है कि शुष्क मौसम के दौरान प्रमुख नदियों के जल बंटवारे से आगे बढ़ते हुए, दोनों देशों के बीच जल सहयोग बढ़ना चाहिए और इसमें जलभृत पुनर्भरण, नदी कायाकल्प और तकनीकी सहयोग जैसी सूक्ष्म-स्तरीय पहल शामिल होनी चाहिए। दोनों देशों को स्थानीय जल प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा जलवायु लचीलापन बढ़ाने और आपसी विश्वास को मजबूत करने के लिए मनु, खोवाई और धारला जैसी छोटी सीमा पार नदियों पर संयुक्त परियोजनाओं का सक्रिय रूप से पता लगाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) संबंधी द्विपक्षीय संस्थागत संरचना वर्ष 1972 में स्थापित की गई थी। जेआरसी संरचना के तहत द्विपक्षीय बैठकें दोनों देशों की आपसी सुविधा के अनुसार आयोजित की जाती हैं। गंगा जल साझा करने के लिए संयुक्त समिति की बैठकें वर्ष में तीन बार आयोजित की जाती हैं। (पिछली बैठक सितंबर 2025 में आयोजित की गई थी)।

2. भारत और बांग्लादेश 54 सीमा पार / समान सीमा वाली नदियों को साझा करते हैं। आज तक की स्थिति के अनुसार, त्रिपुरा राज्य में सबरूम शहर की पेयजल आपूर्ति योजना के लिए फेनी नदी से जल प्राप्त करने के लिए 2019 में हस्ताक्षरित समझौता

ज्ञापन और समान सीमा नदी कुशियारा से जल प्राप्त करने के लिए 2022 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अलावा, दोनों देशों ने फरक्का में गंगा के पानी को साझा करने के संबंध में एक संधि (1996 में हस्ताक्षरित) पर हस्ताक्षर किए हैं।

3. जेआरसी संरचना के तहत तकनीकी स्तर की बैठक में समान-सीमा / सीमा-पार नदियों पर नदी जल साझा करने के अलावा आपसी हित के अन्य जल संसाधन संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श किया जाता है। तकनीकी स्तर की बैठक में विचार-विमर्श का एजेंडा आपसी सहमति से तय किया जाता है।

[फाइल सं. एए/पार्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 32

<u>जलवायु प्रतिरोध क्षमता और पर्यावरण सहयोग बढ़ाना</u>

समिति नोट करती है कि जलवायु परिवर्तन नदी के प्रवाह और वर्षा पद्धति को तेजी से प्रभावित कर रहा है, जिससे भारत और बांग्लादेश दोनों में, विशेष रूप से तटीय और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सुंदरवन, दोनों देशों द्वारा साझा किया गया एक विशाल मैंग्रोव डेल्टा, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है, जिसमें समुद्र का स्तर बढ़ना, लवणता में वृद्धि और जैव विविधता का नुकसान शामिल है। सुंदरवन क्षेत्र की साझा पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए, समिति ने सुंदरवन के संरक्षण पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त कार्य समूह की स्थापना पर संतोष व्यक्त किया। समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि यह मंच दोनों देशों द्वारा साझा किए गए डेल्टा क्षेत्र में जैव विविधता मानचित्रण तथा जल गुणवत्ता निगरानी और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन संबंधी सहयोग के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। समिति सिफारिश करती है कि जलवायु अनुकूलन, जैव विविधता संरक्षण, लवणता प्रबंधन और स्थानीय आबादी के लिए आजीविका लचीलापन पर संयुक्त पहलों को शामिल करने के लिए इस तंत्र को और मजबूत किया जाए। समिति का आगे सुझाव है कि दोनों देशों को जलवायु और नदी पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जल गुणवत्ता, बाढ़ पूर्वानुमान और टिकाऊ डेल्टा प्रबंधन के पहलुओं को एकीकृत करने पर एक व्यापक द्विपक्षीय ढांचा विकसित करने की व्यवहार्यता का पता लगाना चाहिए। समिति का विचार है कि जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर सहयोग दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए एक राजनीतिक रूप से तटस्थ क्षेत्र प्रदान करता है। मंत्रालय

सुंदरवन के संरक्षण के लिए 2011 में भारत और बांग्लादेश द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में भी समिति को अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

भारत और बांग्लादेश ने जलवायु एवं नदी तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, पर्यावरणीय क्षरण और सतत विकास संबंधी द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा और समीक्षा के लिए एक व्यापक संरचना के रूप में 2024 में "भारत-बांग्लादेश हरित भागीदारी के लिए साझा दृष्टिकोण" दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में आपदा जोखिम में कमी, 54 समान/सीमा पार नदियों का प्रबंधन और सुंदरवन संरक्षण शामिल थे। इस समझौता ज्ञापन के तहत सुंदरवन संरक्षण पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी, जिसकी पिछली बैठक 2016 में नई दिल्ली में हुई थी। इस संरचना के तहत चर्चा दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों के समन्वय से फिर से शुरू की जा सकती है।

[फाइल सं. एए/पार्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 33

<u>बाढ़ प्रबंधन और डेटा साझाकरण</u>

समिति का मानना है कि 1972 से भारत और बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग के तत्वाधान में बाढ़ पूर्वानुमान और हाइड्रोलॉजिकल डेटा के आदान-प्रदान में सफलतापूर्वक लगे हुए हैं। इस सहयोग ने दोनों देशों में बाढ़ के प्रभाव को कम करने और तैयारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिति सिफारिश करती है कि सीमा पार जल प्रबंधन में सुधार करने और जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति दोनों देशों का परस्पर जुड़ाव बढ़ाने के लिए उपग्रह आधारित वर्षा अनुमान, रिमोट सेंसिंग और डिजिटल हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से इस सहयोग को आधुनिक और विस्तारित किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

1972 से, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, मनु, गुमटी, तीस्ता, जलढाका, तोर्सा और महानंदा पर चिह्नित स्टेशनों / साइटों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी हेतु बांग्लादेश को ई-मेल द्वारा, सहमति के आधार पर बाढ़ संबंधी डाटा (जल स्तर, बहाव और वर्षा) के प्रसारण

के लिए व्यवस्था मौजूद है। चिह्नित स्टेशनों का बिंदु-से-बिंदु बाढ़ डाटा, वायरलेस और ई-मेल द्वारा भी बांग्लादेश को प्रेषित किया जाता है। 2023 के बाढ़ के मौसम के दौरान, भारत और बांग्लादेश के संबंधित अधिकारियों के एक डिजिटल संचार समूह को भी बांग्लादेश को समय पर निर्बाध तरीके से बाढ़ डाटा से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए सक्रिय किया गया था। 2025 के बाढ़ के मौसम के दौरान, बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र ने (दिनांक 6.10.2025 से), तीन नदियों (बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में बहने वाली ऊपरी अत्राई, पुनरभाबा और तंगोन) के बाढ़ संबंधी डाटा को पश्चिम बंगाल सरकार के आईडब्ल्यू एंड डी के केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को प्रदान करना शुरू कर दिया।

केंद्रीय जल आयोग उपग्रह आधारित त्वरित वर्षा अनुमानों का उपयोग करके बाढ़ की 7-दिवसीय परामर्शी तैयार कर रहा है, और संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल के माध्यम से सात दिनों के वर्षा पूर्वानुमान को आईएमडी द्वारा एक निर्बाध तरीके से साझा किया जा रहा है। परामर्शी तैयार करने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग किया गया है, और ये परामर्शी एक समर्पित वेबसाइट https://aff.india-water.gov.in/home.php के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। इसके अलावा, सभी स्टेशनों का प्रति घंटा डाटा अलग समर्पित वेबसाइटों पर त्वरित आधार पर ऑनलाइन उपलब्ध है जो सार्वजनिक डोमेन https://ffs.india-water.gov.in पर भी उपलब्ध है।

[फाइल सं. एए/पार्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

अध्याय- तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय- चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए है

-शून्य-

अध्याय- पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

सिफारिश सं. 5

<u>शेख हसीना का भारत में रहना</u>

समिति नोट करती है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश में रही तथा इस संबंध में भारत का दृष्टिकोण अपने सभ्यतागत लोकाचार और गंभीर संकट या अस्तित्व के खतरे की परिस्थितियों का सामना कर रहे व्यक्तियों को शरण देने की मानवीय परंपरा से निर्देशित है। समिति को यह भी बताया गया है कि भारत सरकार उन्हें भारतीय क्षेत्र से राजनीतिक गतिविधि करने के लिए कोई राजनीतिक मंच या कोई राजनीतिक स्थान प्रदान नहीं करती है। समिति यह भी नोट करती है कि इस तरह के मानवीय विचार को आगे बढ़ाते हुए, भारत ने इस सिद्धांत का सख्ती से पालन किया है कि हमारे क्षेत्र से किसी भी अन्य देश के विरूद्ध कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं की जाती है। समिति सिफारिश करती है कि सरकार को भारत के मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरूप अपने सैद्धांतिक और मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी स्थितियों से उचित संवेदनशीलता के साथ निपटा जाए। शेख हसीना की अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाए जाने के पश्चात, समिति बांग्लादेश सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध को नोट करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वे समिति को इस मामले से अवगत कराएं।

सरकार का उत्तर

प्रत्यर्पण अनुरोध पर लागू कानून और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार भारत सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। अनुपालन के लिए सिफारिश नोट की गई है।

[फाइल सं. एए/पर्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 8

<u>भूमि सीमा समझौते और सीमा निर्धारण को पूरा करना</u>

समिति नोट करती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में हस्ताक्षरित भूमि सीमा समझौता (एलबीए) एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने

अंतःक्षेत्रों के आदान-प्रदान और भूमि सीमा को तर्कसंगत बनाने के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों में सबसे जटिल और काफी समय से लंबित मुद्दों में से एक को हल किया। साथ ही, उसी वर्ष संपन्न समुद्री सीमा समझौते ने आपसी विश्वास को और मजबूत किया और एक अधिक स्थिर और सहकारी सीमा प्रबंधन ढांचे के लिए आधार तैयार किया। हालांकि, समिति नोट करती है कि अवशिष्ट सीमा निर्धारण की समस्याएं, विशेष रूप से सुंदरवन जैसे दुर्गम इलाकों में अनसुलझी हैं। अत: समिति सिफारिश करती है कि सरकार को अवशिष्ट सीमा निर्धारण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में तेजी लानी चाहिए ताकि भूमि सीमा समझौते के माध्यम से प्राप्त लाभों को समेकित किया जा सके और अधिक प्रभावी सीमा प्रबंधन में योगदान दिया जा सके। समिति की यह राय है कि बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए शेष क्षेत्रों का सीमा निर्धारण समय पर पूरा करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

सरकार का उत्तर

बांग्लादेश सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अधिकांश क्षेत्रों में सीमांकन किया गया है। कुछ शेष हिस्सों में सीमांकन उचित स्तर पर विचाराधीन है। सीमांकन के लंबित मुद्दों पर उचित संस्थागत तंत्र पर चर्चा जारी है: संयुक्त सीमा सम्मेलन (जेबीसी)। इन मुद्दों पर 21-23 नवंबर 2022 के बीच ढाका में आयोजित बांग्लादेश और भारत के बीच 5वें संयुक्त सीमा सम्मेलन (जेबीसी) में चर्चा की गई थी।

[फाइल सं. एए/पर्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 10

<u>बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) का लाभ उठाना</u>

समिति का मानना है कि क्षेत्रीय सहयोग समूह, विशेष रूप से बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) बांग्लादेश के साथ संपर्क को प्रगाढ़ बनाने, व्यापार को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान-प्रदान को समृद्ध करने के लिए एक आशाजनक अवसर प्रदान करता है। ढाका और मुख्यालय वाले बिम्सटेक सचिवालय बांग्लादेश द्वारा अगले एक वर्ष के लिए बिम्सटेक की अध्यक्षता के साथ, समिति इसे दोनों देशों के लिए राजनयिक और तकनीकी सहयोग को

सशक्त करने के लिए एक सामयिक अवसर के रूप में देखती है। समिति को यह बताया गया है कि एशियाई विकास बैंक की मदद से बिम्सटेक म्यांमार और थाईलैंड सहित पूरे क्षेत्र के लिए परिवहन संपर्क पर एक 'मास्टर प्लान' लेकर आया है। समिति सिफारिश करती है कि भारत को बांग्लादेश की अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश को पूर्ण राजनयिक और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सहायता से परिवहन संपर्क के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान को लागू करने की दिशा में मिलकर कार्य करना चाहिए। समिति को इस संबंध में हुए सभी घटनाक्रमों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के मौके पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक की अध्यक्षता ग्रहण करने पर बांग्लादेश को बधाई दी और इस मंच को अपने नेतृत्व में क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक दिखे। ढाका में हमारा मिशन इसे एक सक्रिय क्षेत्रीय मंच में बदलने के प्रयास में विभिन्न प्लेटफार्मों पर बांग्लादेश में इस समूह को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

औपचारिक रूप से 30 मार्च 2022 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित पांचवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक मास्टर प्लान को अपनाया गया था। पिछले साल 6 मार्च, 2025 को परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान की मध्य-अवधि समीक्षा प्रगति का आकलन करने और क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क में सुधार के लिए भविष्य के कदमों की रणनीति बनाने के लिए आयोजित की गई थी। अप्रैल 2025 में बैंकॉक में आयोजित 6 वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में, समुद्री परिवहन सहयोग पर बिम्सटेक समझौते (एएमटीसी) को अपनाया गया था। एएमटीसी की पुष्टि करने वाला भारत पहला देश था, और जुलाई 2025 में विशाखापत्तनम में आयोजित दूसरे बिम्सटेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान, भारत सरकार ने बांग्लादेश और अन्य सदस्य देशों में कार्यान्वयन का समर्थन करने और तकनीकी क्षमता के निर्माण के लिए मुंबई में एक बिम्सटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट (बीएसएमएआरटीसी) स्थापित करने की घोषणा की।

[फाईल सं. एए/पर्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 13

सीमा पर बाड़ लगाना

समिति नोट करती है कि भारत-बांग्लादेश सीमा के कुल 4096 किलोमीटर में से लगभग 3231 किलोमीटर पर बाड़ लगा दी गई है, जबकि लगभग 864 किलोमीटर दुर्गम इलाकों और नदी की स्थिति के कारण बाड़ नहीं लगा है। समिति को सूचित किया गया है कि लगभग 689 किलोमीटर तक बाड़ लगाना संभव है, परंतु लगभग 175 किलोमीटर का इलाका दुर्गम होने के कारण यह महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत-बांग्लादेश सीमा के 150 गज के भीतर निर्माण को प्रतिबंधित करने वाले द्विपक्षीय समझौतें और भूमि अधिग्रहण की बाधाएं जैसे मुद्दे प्रक्रिया को और जटिल बनाते हैं।

यह मानते हुए कि प्रभावी सीमा प्रबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, समिति सिफारिश करती है कि भारत सरकार बांग्लादेश के साथ मिलकर तकनीकी डिजाइन, व्यवहार्यता अध्ययन और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं में तेजी लाकर शेष बाड़ लगाने के काम को पूरा करने को प्राथमिकता दे। समिति आगे सिफारिश करती है कि गृह मंत्रालय को विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ समन्वय में दुर्गम नदी सीमा और जनसंख्या वाले क्षेत्रों में फ्लोटिंग फेंसिंग, लेजर आधारित घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली और स्मार्ट सेंसर जैसे अभिनव इंजीनियरिंग और तकनीकी समाधानों को अपनाना चाहिए, जहां पारंपरिक बाड़ लगाना अव्यावधरिक है।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार के संबंधित अधिकारी, व्यवहार्य क्षेत्रों में सीमा बाड़ लगाने का कार्य पूरा करने के लिए संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ भूमि अधिग्रहण के मामलों को नियमित रूप से आगे बढ़ाते हैं।

गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, भारत-बांग्लादेश सीमा के सभी अनछुए क्षेत्रों को तकनीकी समाधानों के माध्यम से कवर किया जाना है। इस उद्देश्य हेतु, बीएसएफ ने व्यापक तकनीकी समाधान प्रस्तावित किए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

[फ़ाइल सं. एए/संसद/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 21

<u>बांग्लादेश का एलडीसी स्टेटस से आगे बढ़ना और भविष्य का ट्रेड आर्किटेक्चर</u>

समिति नोट करती है कि 2026 में सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) की श्रेणी से बांग्लादेश बाहर निकल जाएगा और स्वीकार करती है कि इस विकास का द्विपक्षीय व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। समिति का मानना है कि बांग्लादेश को वर्तमान में अपने एलडीसी लाभों के हिस्से के रूप में एसएएफटीए के तहत लगभग सभी उत्पादों के लिए भारत में शुल्क-मुक्त और कोटा-मुक्त बाजार पहुंच प्राप्त है। श्रेणी से बाहर निकलने के बाद, बांग्लादेश कई अधिमान्य उपचारों के लिए अर्हता खो देगा जो इसकी निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है और मौजूदा व्यापार गतिशीलता को बदल सकता है।

समिति इस बात की सराहना करती है कि दोनों देशों ने भारत की पड़ोसी पहले की नीति के अनुरूप स्टेटस से आगे बढ़ने के बाद व्यापार और निवेश सहयोग के लिए एक दूरदर्शी ढांचा स्थापित करने के लिए एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत शुरू की है। इस प्रकार समिति सिफारिश करती है कि भारत सरकार को 2026 से पहले सीईपीए वार्ताओं के निष्कर्ष में तेजी लानी चाहिए ताकि द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में निरंतरता, पूर्वानुमेयता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, समिति का विचार है कि सीईपीए में बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था के चुनिंदा क्षेत्रों के लिए निरंतर अधिमान्य उपचार के प्रावधान शामिल होने चाहिए, साथ ही भारत के घरेलू हितों की रक्षा और दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक संतुलित ढांचा प्रदान करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

बांग्लादेश को अल्पविकसित देश (एलडीसी) की श्रेणी से बाहर निकालने और प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के संबंध में समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार ने ध्यान दिया है। अगस्त 2024 से पहले ही वार्ता शुरू करने की दिशा में चर्चा शुरू कर दी गई थी, और बांग्लादेश की नई सरकार के तहत इसमें तेजी आने की उम्मीद है।

[फाइल क्रमांक एए/संसद /125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 26

<u>भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की भूमिका</u>

समिति नोट करती है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (आईजीसीसी) के माध्यम से बांग्लादेश में भारत की सांस्कृतिक कूटनीतियों को बढ़ावा देने, योग, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कथक और हिंदी में प्रशिक्षण देने और दोनों देशों के प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सहयोगात्मक प्रदर्शन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिति अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव जैसी आईसीसीआर की पहलों और राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में भी सांस्कृतिक जुड़ाव को बनाए रखने के उसके प्रयासों की सराहना करती है। समिति को उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश के प्रसिद्ध कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने में योगदान देंगे।

बढ़ती मांग और सकारात्मक प्रतिक्रिया को स्वीकार करते हुए, समिति का सुविचारित मत है कि आईसीसीआर के कार्यकलापों के दायरे और भौगोलिक पहुंच का काफी विस्तार किया जाना चाहिए, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि आईसीसीआर, बांग्लादेश सरकार के साथ समन्वय में, अन्य शहरों में उपनगरीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने के साथ-साथ सचल सांस्कृतिक मंडलियों का आयोजन करके और व्यापक दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल सांस्कृतिक मंच विकसित करके अपने सांस्कृतिक पदचिह्न का विस्तार करे। समिति का आगे सुझाव है कि आईसीसीआर और बांग्लादेश की शिल्पकला संस्था संयुक्त रूप से द्विपक्षीय संबंधों की सांस्कृतिक नींव को गहरा करने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कलाकार निवास, युवा उत्सवों और शैक्षणिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान की रूपरेखा तैयार करें।

सरकार का उत्तर

बांग्लादेश के साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने में आईसीसीआर की भूमिका के संबंध में समिति की सिफारिशों पर सरकार ने ध्यान दिया है। ढाका से परे पहुंच बढ़ाने के लिए, आईसीसीआर और आईजीसीसी आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों और चुनिंदा ऑनलाइन सामग्री सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। लालोन संध्या और मैत्री दिवस जैसे चुनिंदा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके व्यापक

दर्शकों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल रूप से प्रसारित किया जाता है। सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी और दृश्यता बढ़ाने के लिए युवाओं को लक्षित ऑनलाइन गतिविधियों सहित इंटरैक्टिव पहल भी की जा रही हैं। आईजीसीसी साहित्यिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, स्मारक कार्यक्रमों और प्रस्तुतियों के माध्यम से बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों के साथ सहयोग जारी रखे हुए है।

अन्य शहरों में उपग्रह सांस्कृतिक केंद्रों और आउटरीच पहलों के माध्यम से आईसीसीआर की पहुंच बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुपालन के लिए नोट किया गया है। समिति के इस सुझाव को भी अनुपालन के लिए नोट किया गया है कि आईसीसीआर और बांग्लादेश की शिल्पकला अकादमी संयुक्त रूप से एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान रोडमैप विकसित करें, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की सांस्कृतिक नींव को मजबूत करने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, कलाकार निवास, युवा उत्सव और शैक्षणिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

[फाइल क्रमांक ए ए /संसद /125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 28

समिति मानती है कि पर्यटन और स्थानीय सीमा पार व्यापार भारत और बांग्लादेश के बीच सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए शक्तिशाली प्रेरक शक्ति हैं। समिति सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मेघालय और त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा हाटों की स्थापना की सराहना करती है। समिति नोट करती है कि इन सीमा हाटों को सीमा के दोनों ओर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए बनाया गया है। समिति का सुझाव है कि मंत्रालय को दोनों देशों के बीच अतिरिक्त सीमा हाट स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करना चाहिए। समिति को उम्मीद है कि सीमा हाटों के नेटवर्क का विस्तार अनौपचारिक व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए प्रभावी समुदाय आधारित मॉडल के रूप में काम करेगा। इस तरह की पहल से न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों के बीच संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार का उत्तर

सरकार ने सीमा पार पर्यटन और सीमा हाटों के विस्तार के संबंध में समिति की सिफारिशों को नोट किया है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा हाटों ने स्थानीय व्यापार

को सुविधाजनक बनाने और सीमावर्ती समुदायों की आजीविका में सुधार करने में योगदान दिया है। अगस्त 2024 की घटनाओं से पहले, भारत-बांग्लादेश सीमा पर छह सीमा हाट चालू थे। अतिरिक्त सीमा हाट विकास के विभिन्न चरणों में हैं, और संबंधित मुद्दों को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया जा रहा है। अतिरिक्त सीमा हाट स्थापित करने के प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से तथा व्यवहार्यता, अवसंरचना की तैयारी और आपसी करार के अध्यधीन विचार किया जाता है।

[फाइल सं. एए/पार्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

सिफारिश सं. 31

<u>गंगा जल संधि का नवीकरण</u>

समिति नोट करती है कि 1996 की गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है जो 30 साल की अवधि के लिए फरक्का बैराज में गंगा नदी के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है। समिति को बताया गया है कि गंगा जल संधि में पश्चिम बंगाल राज्य की महत्वपूर्ण भागीदारी शामिल है, जिसमें पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने संधि के प्रावधानों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने भी मार्च 2025 में कोलकाता में आयोजित जेआरसी की सबसे हालिया बैठक में भाग लिया। समिति यह भी नोट करती है कि यह संधि 2026 में समाप्त होने वाली है और इसके नवीकरण पर द्विपक्षीय चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है।

समिति सिफारिश करती है कि भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ जल्द से जल्द द्विपक्षीय चर्चा शुरू करनी चाहिए, ताकि 2026 के बाद की अवधि में किसी भी तरह की कमी से बचा जा सके। समिति आगे सिफारिश करती है कि नवीकरण प्रक्रिया को अद्यतन जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों तथा जलवायु परिवर्तन अनुमानों और नदी जल के न्यायसंगत और सतत उपयोग की आवश्यकता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, समिति इस बात पर जोर देती है कि संबंधित राज्य सरकारों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ परामर्श जारी रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बातचीत की प्रक्रिया के दौरान भारत की स्थिति तैयार करने में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हितों को संरेखित किया जा सके। समिति इस बात पर भी जोर देती है कि तीस्ता नदी के जल का बंटवारा पश्चिम बंगाल राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए, तीस्ता पर

बातचीत के दौरान भारत सरकार द्वारा उसकी चिंताओं का विधिवत समाधान किया जाए।

सरकार का उत्तर

गंगा जल साझाकरण संधि की आंतरिक समीक्षा के लिए जुलाई 2023 में डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सरकारों के संबंधित हितधारक भी इस समिति के सदस्य हैं। नई सरकार के तहत बांग्लादेश में द्विपक्षीय चर्चा शुरू होने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार का प्रयास है कि हमारे तटवर्ती राज्यों के साथ परामर्श करके उचित और न्यायसंगत आधार पर तीस्ता संबंधी एक करार किया जाए, जो सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार्य हो और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करे।

[फाइल सं. एए/पार्ल/125/102/2025 दिनांक 26/02/2026]

नई दिल्ली
21 जुलाई, 2026
30 आषाढ़, 1948 (शक)

डॉ. शशि थरूर,
सभापति,
विदेशी मामलों संबंधी समिति

<u>परिशिष्ट- एक</u>

विदेशी मामलों संबंधी समिति (2025-26) की 21 जुलाई, 2026 को हुई बाईसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को 1730 बजे से 1800 बजे तक समिति कक्ष संख्या '2', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. शशि थरूर, सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती डी. के. अरुणा
3. श्री मितेश पटेल (बकाभाई)
4. श्री अरुण गोविल
5. श्री नवीन जिंदल
6. श्री नवासखनी के.
7. श्री सनातन पांडेय
8. श्री रवि शंकर प्रसाद
9. श्री अरविंद गणपत सावंत

राज्य सभा

10. डॉ. जॉन ब्रिटास
11. श्री सतनाम सिंह संधू
12. श्री रतनजीत प्रताप नारायन सिंह
13. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. श्री शांगरिसो जिमिक	-	निदेशक
2. सुश्री शांता बनर्जी दत्ता	-	उप-सचिव
3. डॉ. स्मिता सिंह	-	समिति अधिकारी

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें दिन की कार्यसूची से अवगत कराया।

3. समिति ने 'भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य' विषय पर समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया।

4. सभापति ने सदस्यों को प्रारुप प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए अपने सुझाव, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा। विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने सदस्यों द्वारा सुझाए गए अल्प संशोधनों के साथ प्रारुप प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

5. समिति ने सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे संसद में प्रस्तुत करने हेतु सभापति को अधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट- दो

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा 4)

विदेशी मामलों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

सिफारिश संख्या: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. 24, 25, 27, 29, 30, 32 और 33

कुल- 25

प्रतिशत- 75.75%

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

सिफारिश संख्या: शून्य

कुल-0

प्रतिशत- 0%

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

सिफारिश संख्या : शून्य

कुल- 0

प्रतिशत- 0%

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

सिफारिश संख्या: 5, 8, 10, 13, 21, 26, 28 और 31

कुल-08

प्रतिशत- 24.24%